

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
OA NO. 57/2021

IN THE MATTER OF:
PETITIONER:

Dr. Govind Singh MLA

//VERSUS//

RESPONDENTS:

State of M.P. & Ors.

INDEX

Sl.	Particulars	<u>Annexure</u>	<u>Page No.</u>
01	ACTION TAKEN REPORT CUM COMPLIANCE OF ORDER DATED 25/05/2022		3-14
02	Affidavit		15
03	The minutes of meeting dated 27/06/2022	ANNEXURE RR-1/1	16-20
04	Copy of the order dated 01/07/2022	ANNEXURE RR-1/1A	21
05	The minutes of meeting dated 22/06/2022	ANNEXURE RR-1/2	22-23
06	Copy of the order dated 28/06/2022	ANNEXURE RR-1/3	24
07	Copy of status report	ANNEXURE RR-1/4	25
08	Copies of all three roaster	ANNEXURE RR-1/5	26-33
09	The minutes of meeting dated 11/04/2022	ANNEXURE RR-1/6	34-35
10	Copy of the order dated 27/06/2022	ANNEXURE RR-1/7	36
11	Copy of all roaster of all the three department	ANNEXURE RR-1/8	37-38
12	List of details of illegal transportation with the status report	ANNEXURE RR-1/9	39-41
13	The minutes of meeting dated 24/06/2022	ANNEXURE RR-1/10	42-43
14	Copy of the details of the check-post	ANNEXURE RR-	44

		1/11	
15	List providing the details of illegal minor mineral mining activities during the month of June 2022	ANNEXURE RR-1/12	45-46
16	Copy of list providing the details	ANNEXURE RR-1/13	47-
17	The minutes of meeting dated 06/06/2022	ANNEXURE RR-1/14	48-49
18	Copy of order dated 10/06/2022	ANNEXURE RR-1/15	50-52
19	Copy of the order dated 29/06/2022	ANNEXURE RR-1/16	53
20	List providing the details of illegal mining activities during the month of June 2022	ANNEXURE RR-1/17	54
21	Vakalatnama		

SUBMITTED BY;



RESPONDENTS

THROUGH;



(SACHIN K. VERMA)

COUNSEL FOR THE RESPONDENTS

Place: BHOPAL

Date: 16/07/2022

18

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL

OA NO. 57/2021

IN THE MATTER OF:

PETITIONER:

Dr. Govind Singh MLA

//VERSUS//

RESPONDENTS:

State of M.P. & Ors.

ACTION TAKEN REPORT CUM COMPLIANCE OF ORDER
DATED 25/05/2022

The respondent state most respectfully submits as follows:-

1. The Hon'ble Tribunal vide its order dated 25/05/2022 directed the Chief Secretary Government of Madhya Pradesh to take corrective action and also to submit the action taken report as well as to suggest sustainable remedial measures to the Hon'ble Tribunal.
2. In compliance to the direction passed by Hon'ble Tribunal a meeting was conducted under the chairmanship of Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh on 27/06/2022 at Vallabh Bhawan Bhopal following were present in the meeting :-

//MINUTES OF MEETING HELD BY CHIEF SECRETARY//

1. Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Department of Home
2. Principal Secretary Government of Madhya Pradesh, Department of Forest
3. Principal Secretary Government of Madhya Pradesh, Department of Environment
4. Divisional Commissioner Gwalior/Chambal Division


for
O.C.

5. Inspector General of Police Gwalior/Chambal Zone
6. Chief Conservator of Forest Gwalior/Chambal Zone
7. District Collector, District Gwalior, Bhind, Morena & Datia
8. Superintendent of Police District Gwalior, Bhind, Morena & Datia
9. Chief Conservator of Forest/ Divisional Forest Officer Wildlife Sanctuary Morena Madhya Pradesh


During the meeting after following deliberation & observations are made by the attendees:-

- i. The meeting was convened by the Principal Secretary, Department of Mineral Resources who had apprised during the meeting that the department has notified new MP mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation, Storage & Trading) Rules 2022 on 08/04/2022 therein for illegal excavation transportation and storage of minerals, more stringent penal provisions are provided and in addition to these provisions for recovery of environmental loss/damage the penal provision of compensation and recovery of fine are also provided.
- ii. During the meeting Collector Morena has submitted that in the District Morena to curb and control illegal sand mining and transportation in forest area the forest department is provided the armed force of SAF and the District Level Task Force has also initiated joint action against such illegal activities and further the illegal excavation, transportation and storage cases registered by the revenue officials are now decided at the earliest.

In District Morena sand mineral is available in Chambal River which falls within the Chambal Ghadiyal Sanctuary are, therein five locations are demarcated and selected for carrying out sand mining activities and to allow sand mining activities in the sanctuary area necessary approval is pending before the MoEF & CC.


OIC

- iii. The District Collector, District Gwalior has submitted during the meeting that in District Gwalior the District Level Task Force is already constituted which has initiated regular action against illegal excavation, transportation and storage of sand, the meetings of District Level Task Force are conducted regularly and the District Mining Branch along with the District Administration is keeping vigil eye on such illegal activities. The District Mining Branch, Gwalior has taken preventive action by establishing 7 check posts thereby to keep sufficient surveillance on all such illegal activities.
- iv. The District Collector District Bhind also submitted that District Mining Branch Bhind has taken a preventive action by establishing 6 check posts thereby to keep sufficient surveillance on all such illegal activities. Further the District Collector District Bhind submitted that the joint team of Revenue and Forest Department are constituted which are carrying out incognito inspections in illegal mining prone areas and further to curb and control all such illegal mining activities the team of 30-40 Subordinate Government Employees are sent to such illegal mining prone areas who are taking action against illegal excavation and transportation.
- v. The District Mining Branch, Datia has taken a preventive action by establishing 7 check posts thereby to keep sufficient surveillance on all such illegal activities.
- vi. The Chief Secretary passed necessary direction in the meeting that a Divisional Level Coordination Committee be constituted under the chairman ship of Divisional Commissioner Gwalior/Chambal Division and the Inspector General of Police Gwalior/Chambal Range, Chief Conservator of Forest Gwalior/Chambal Division, Regional Officer MPPCB, Regional Transport Officer and Regional Head of Directorate of Geology and Mines will be the member of the said committee.


OIC

- vii. The divisional level committee will keep a vigil eye on illegal excavation, transportation and storage of minerals and will review and monitor the preventive action by providing sufficient armed force to curb and control all such illegal activities.

The minutes of meeting dated 27/06/2022 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/1**

3. As observed and instructed by Chief Secretary Government of Madhya Pradesh during the meeting dated 27/06/2022 the Department of Mineral Resources, State Government of Madhya Pradesh has constituted a Divisional Level Co-ordination Committee vide order dated 01/07/2022 which is as follows.

1. Divisional Commissioner Gwalior/Chambal Division (M.P.)- **Chairman**
2. Inspector General of Police Gwalior/Chambal Range(M.P.)
3. Chief Conservation Officer Gwalior/Chambal Zone (M.P.)
4. Regional Officer MPPCB Gwalior (M.P.)
5. Regional Transport Officer, Gwalior(M.P.)
6. Regional Head of Directorate of Geology & Mines, Gwalior (M.P.)

The copy of the order dated 01/07/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/1A**

//DISTRICT-WISE COMPLIANCE//

DISTRICT DATIA:-

4. In District Datia the District Level Task Force Committee held a meeting dated 22/06/2022 at 11:00 AM at collector office Datia under the chairmanship of District Collector District Datia, during the meeting following officers were present:-

1. Superintendent of Police District Datia.


D.C.

2. Divisional Forest Officer District Datia
3. Sub Divisional Officer Datia/Sewada/Bhander
4. Incharge Officer District Mining Branch District Datia
5. District Transport Officer District Datia

During the said meeting after deliberation and discussion following decision/observations were made:-

- i. To take preventive action against illegal mining/transportation/storage the Joint Flying Squad Team of Mining/ Revenue/Police Departments is instructed to take necessary action in accordance with law through mining officer Datia and the concerning Sub- Divisional Officer.
- ii. The Mining Officer/ Transport Officer is also instructed to initiate action with the help of the concerning Station House Officers of police so that overloaded vehicles carrying mineral shall not ply within the District.
- iii. Mineral check post are established within District Datia and the subordinate employees of Revenue/Police/Forest Department are deployed on these check posts in addition to it 2 Mineral Flying Squad Team is also constituted so that the illegal excavation transportation and storage of sand mineral could be restricted.
- iv. The Divisional Forest Officer Datia is instructed to take necessary action against illegal excavation transportation storage within the forest area.
- v. The Mining officer is also instructed to check the eTPs in the sanctioned valid operational sand mines to insure that mineral transportation may not be carried out without having eTPs.


OJc

- vi. Any complaint reported against the illegal river sand mining in the district an inquiry shall be initiated and continuous action shall also be initiated in this regard through the Mining Officer, Sub-Divisional Officer Datia/Sewada/Bhander and Divisional Forest Officer.

The minutes of meeting dated 22/06/2022 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/2**

5. The Collector Datia vide order dated 28/06/2022 has imposed rainy season ban from 30/06/2022 to 01/10/2022 during such period river sand mining activities are banned in District Datia. The copy of the order dated 28/06/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/3**

6. During the month of June for illegal transportation 11 cases are registered by the District Mining Branch Datia out of 11 cases 3 cases are decided and the fine/compounding fees of Rs 2,91,250/- is recovered, one case of illegal storage is registered and a fine amount of Rs 3,02,400/- is proposed to be recovered 8 cases are still pending for adjudication before the competent authority. The status report is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/4**

7. The District Collector (Mines) Datia vide order dated 12/03/2021, 14/06/2021 and 29/09/2021 and has prepared the duty Roaster of Subordinate Revenue Employees which are deployed at the mineral check posts. The copies of all three roaster are cumulatively marked as **ANNEXURE RR-1/5**

DISTRICT GWALIOR:-

8. In District Gwalior, The District Level Task Force held a meeting dated 11/04/2022 at 4:00 PM in the office of Collector Gwalior, following members/officials were present during the meeting:-


1. District Collector, District Gwalior
2. Superintendent Of Police District Gwalior

J
OIC

3. Divisional Forest Officer District Gwalior
4. Additional Collector District Gwalior
5. In charge Mining Officer District Gwalior

During the said meeting after discussion and deliberations following decision were taken:-

- i. A Joint Flying Squad Team of Mining/Revenue/Police Department is already constituted vide office order dated 25/06/2020 therefore the flying Squad Team is instructed to take necessary action and further to provide action taken report before the next meeting.
- ii. Total 11 sand check-posts are established in the District Gwalior and the subordinate employees of Revenue/Police/Forest Department are deployed on these check-posts in addition to it 3 Flying Squad Team are also constituted for prevention of illegal transportation, the Flying Squad is instructed to take immediate necessary against the overloaded vehicles/ vehicles plying without paying royalty/eTPs.
- iii. In District Gwalior there is a possibility to stock Flagstone Mineral without valid transit passes therefore the enquiry/ verification of Flagstone stocking places be carried out by the Mining Officer/Mining Inspector.
- iv. A Joint Inquiry may be conducted against the illegal excavation by Revenue/Forest/Mining Departments in the forest area of Son Chiraiya Sanctuary Ghatigaon and a compliance report be submitted in the next meeting.
- v. The Mining Officer is also instructed to check the eTPs in the sanctioned valid operational sand mines to insure that mineral transportation may not carry out without having eTPs.
- vi. In District Gwalior in all the ongoing Government Public Construction works in order to avoid the forfeiture of


OJC

royalty amount of used and utilized minor mineral, in the current/final bills the royalty amount be adjusted and the cheque of the royalty amount be deposited in the mineral head 0853 through challan therefore the concerning Government Construction Agencies/Department be instructed by the Mining Officer Gwalior.

The minutes of meeting dated 11/04/2022 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/6**

9. The District Collector Gwalior vide order dated 27/06/2022 has imposed rainy season ban from 01/07/2022 to 30/09/2022 during such period river sand mining activities are banned in District Gwalior. The copy of the order dated 27/06/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/7**

10. The District Collector (Mines) Gwalior vide order dated 10/09/2021 has prepared the duty roaster of Subordinate Government Employees of Revenue /Police/Forest Departments which are deployed at the mineral check post. The copy of all roaster of all the three department is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/8**

11. In District Gwalior during the month of June total 22 cases are registered and almost all cases are compounded by depositing the fine/compounding amount. The list of details of illegal transportation with the status report is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/9**

DISTRICT MORENA:-

12. In District Morena the District Level Task Force held a meeting dated 24/06/2022 at 11:00 AM in the office of collectorate Morena, following members/officials were present during the meeting :-

For

OIC

1. Superintendent of Police District Morena
2. Divisional Forest Officer District Morena
3. Additional Collector District Morena
4. Mining Officer District Morena
5. District Excise Officer District Morena
6. District Food Officer District Morena
7. District Medical Officer District Morena
8. Mining Inspector District Morena

During the said meeting after deliberations and discussion following decision were taken:-

- i. The District Collector Morena Morena instructed to initiate joint action against sand mining mafias particularly for the mafias who are operating in the restricted area of Chambal River, the Divisional Forest Officer is instructed to provide the information to Additional Collector and Additional Superintendent of Police along with the District Mining Branch so that such information be updated on the portal. The Police/Forest/Revenue and Mining Department are instructed to take co-ordinated action and the vehicles involved in such illegal sand transportation be confiscated and FIR shall also be registered/lodged.
- ii. The Subordinate Government Employees who are deployed at the mineral check-posts are instructed to provide monthly information pertaining to the action initiated against the illegal sand transportation from River Chambal apart from sand other minor mineral mafias who are active in the District Morena a pre-planned joint action be initiated.

The minutes of meeting dated 24/06/2022 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/10**

[Handwritten signature]
OJC

13. The office of Divisional Forest Officer Forest Division Morena vide letter dated 08/07/2022 has provided an information to Mining Officer District Mining Branch Morena that a check-post

at Dholpur Road Morena has been established by the Forest Department to show the exact location the coordinates are also provided by the office of Divisional Forest Officer Forest Division Morena. The copy of the details of the check-post is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/11**

14. The District Mining Branch District Morena has provided the consolidated list of illegal minor mineral mining activities for the month of June 2022 therein total 30 cases are registered therein 24 cases of illegal transportation, 3 cases of illegal excavation, 2 cases of illegal storage and 1 case is transferred to the Forest Department. The List providing the details of illegal minor mineral mining activities during the month of June 2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/12**

15. The Forest Department has also registered 8 cases of illegal sand mining during the month of June 2022 and has initiated necessary action in this regard. The copy of list providing the details are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/13**

16. Since there is no sanctioned/valid sand quarry in District Morena therefore, there is no occasion to pass any order pertaining to rainy season ban in District Morena.

DISTRICT BHIND:-

17. In District Bhind the District Level Task Force held a meeting dated 06/06/2022 in the Collectorate Office Bhind, following members/officials were present during the meeting :-

- i. Sub-Divisional Officer (Revenue)
- ii. Sub-Divisional Officer (Police)
- iii. District Transport Officer
- iv. District Mining Officer

During the said meeting after discussion following decision/observations were made:-


OJC

- i. The Mineral Resource Department and Revenue Department are instructed to facilitate the valid sand contractor to establish check-posts under their monitoring and observation the Mining Officer/Mining Inspector Bhind are instructed to keep continuous vigilance on such mineral check-posts and if necessary the assistance of nearest Police Stations be provided in the District Bhind.

The abandoned illegal stock of sand be confiscated and further be auctioned through valid contractor or provided to the Government construction agencies. The Transport Officer may check the illegal transportation vehicles its prescribed capacity and make and in case of any additional modification or increase in the prescribed height of body is found then for such illegally modified vehicles appropriate actions shall be initiated.

- ii. The Transport Department may take proper action against unregistered vehicles involved in illegal transportation of minerals.
- iii. Police, Revenue and Mining Department shall carry out incognito raid at sand mining blocks situated at Sindh River and may carry out action against illegal transportation vehicles/machines and pandubbis.
- iv. The River Chambal falls within the Chambal wildlife Sanctuary area and various complaints are reported for illegal sand mining and transportation in these forest areas. The Forest Department is duly empowered to take action within the purview of Forest Conservation Act therefore the Divisional Forest Officer Bhind shall initiate necessary action and will keep continuous vigilance in the forest area, if required the Divisional Forest Officer Bhind Divisional Forest Officer Bhind may take assistance from police.

J
O/c

The minutes of meeting dated 06/06/2022 are marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/14**

18.Total 9 sand mineral check-posts are established within the District Bhind vide order dated 10/06/2022. The order dated 10/06/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/15**

19.The District Collector Bhind vide order dated 29/06/2022 has imposed rainy season ban from 30/06/2022 to 30/09/2022 during such period river sand mining activities are completely banned in District Datia. The copy of the order dated 29/06/2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/16**

20.The District Mining Branch District Bhind has provided the list for the month of June 2022 about the illegal sand mining therein total 49 cases of illegal transportation & storage are registered and thereby an amount of Rs 97,39,394/- has been recovered. The list providing the details of illegal mining activities during the month of June 2022 is marked and filed herewith as **ANNEXURE RR-1/17**

21.The action taken report/compliance of order dated 25/05/2022 may kindly be taken on record. The State Government of Madhya Pradesh has duly ensured the compliances to directions of this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit.


22.An affidavit in support is filed herewith.

SUBMITTED BY;



RESPONDENTS

THROUGH;



(SACHIN K. VERMA)

COUNSEL FOR THE RESPONDENTS

Place: BHOPAL

Date: 16/07/2022

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL
OA NO. 57/2021

IN THE MATTER OF:
PETITIONER:

Govind Singh MLA

//VERSUS//

RESPONDENTS:

State of M.P. & Ors.

AFFIDAVIT

I, Anoop Mishra, Aged about 60 years, S/o Shri K.K Mishra posted as Deputy Director Mineral Administration, O/o 29 A Khanij Bhawan Arera Hills Bhopal (M.P.) do hereby state on oath and solemnly affirm as under:-



1. That, I have been appointed as officer incharge to represent the case on behalf of respondents no. 1,3, 4, 5 & 6 in the present matter and as such I am well conversant with the facts of the case and therefore, competent to swear this affidavit.

That the accompanying compliance report has been drafted as per my instructions and also explained to me.

3. That the contents of para 1 to end of accompanying compliance report are true to my knowledge based upon official records and the legal averments made therein are true on the legal advice received and believed to be true.

श्री Anoop Mishra s/o K.K. Mishra
जाति Deputy Director Mineral Administration
निवासी 0/0 29 A Khanij Bhawan
Arera Hills Bhopal (M.P.)
आज दिनांक 16/7/2022 को मेरे समक्ष शपथ ग्रहण की।
श्री 16/7/2022 ने शपथ ग्रहण को पहचाना।
हस्ताक्षर/अंगूठा

DEPONENT

I, above described deponent do hereby verify that the content of para 1 to 3 of the affidavit are true to my personal knowledge and belief.
प्रमाणित किया जाता है कि शपथ ग्रहण को मेरे समक्ष शपथ-पत्र चुनाव, समझाया गया।
हस्ताक्षर/अंगूठा मेरे समक्ष अंकित किया।
Verified and signed on this day of 16-7- 2022 at Bhopal (M.P)

संजय कुमार विश्वकर्मा
शपथ आयुक्त, भोपाल

DEPONENT

IDENTIFIED BY ME

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक- एफ 14-67/2022/12-1
प्रति,

भोपाल, दिनांक 01/7/2022

1. अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
गृह विभाग।
2. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग।
3. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग।
4. आयुक्त,
ग्वालियर /चंबल संभाग,
मध्यप्रदेश।
5. पुलिस महानिरीक्षक,
ग्वालियर /चंबल जोन,
मध्यप्रदेश।
6. मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर/चंबल जोन,
मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर,
जिला - ग्वालियर/भिण्ड/मुरैना/दतिया,
मध्यप्रदेश।
8. पुलिस अधीक्षक,
जिला - ग्वालियर/भिण्ड/
मुरैना/ दतिया,
मध्यप्रदेश।
9. मुख्य वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी,
वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी,
मुरैना, मध्यप्रदेश।

विषय- माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ0ए0 57/2021 (द्वारा डॉ. गोविन्द सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 57/2021 डॉ. गोविन्द सिंह विरुद्ध में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के अनुक्रम में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 27.06.2022 के कार्यवाही विवरण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

T.C.

(प्रकाश पन्डे)

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

निरंतर.....

//2//

पृ० क्रमांक एफ 14-67/2022/12-1

भोपाल, दिनांक 01/07/2022

प्रतिलिपि -

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संचालक, प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर/दतिया/मुरैना/भिण्ड।
4. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

TC
/


01/07/2022
अवर सचिव

म०प्र० शासन, खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
:: कार्यवाही विवरण ::

1. मान. एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 57/2021, डॉ. गोविन्द सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन दिनांक 25.05.2022 को निम्नानुसार आदेश पारित किये गये हैं :-

“That the fact that law and order situation is deteriorating in the area is unfortunately the true scenario. The death of the Deputy Forest Ranger and Statement made by an IAS officer (Dipak Mishra Ji) in itself is a proof of chaotic situation. Therefore, we do hereby request the Hon’ble Tribunal to grant security in form of either STF or CRPF to the Respondents so that they can fulfill their duties and obligation towards the general public, without any fear.

“Accordingly we are of the view to inform the facts to the Chief Secretary for taking corrective action and to submit the action taken report as well as suggest sustainable remedial measures to the tribunal.”

2. मान. एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश क्रमांक ओ.ए. 57/2021 दिनांक 25.05.2022 के संदर्भ में मुख्य सचिव म.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2022 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में संलग्न सूची अनुसार अधिकारी उपस्थित हुये।

3. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा प्रश्नाधीन आवेदन क्रमांक ओ.ए. 57/2021 के बिन्दुओं पर बैठक में जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि खनिज साधन विभाग द्वारा दिनांक 08.04.2022 से म.प्र. खनिज (अवैध, उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों में खनिजों के अवैध, उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण के लिये दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के अतिरिक्त पर्यावरण क्षति की वसूली के रूप में पृथक से दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं।

4. बैठक में कलेक्टर मुरैना द्वारा बताया गया कि जिले में रेत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन की रोकथाम हेतु वन विभाग को एस.ए.एफ. का बल उपलब्ध कराया गया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से नियमित कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण के प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जा रहा है। जिले में चंबल नदी में रेत उपलब्ध है, जो कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में 05 स्थानों को रेत खदान हेतु चिह्नित किया गया है। इस चिह्नित क्षेत्र हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं।

T.C.

5. कलेक्टर ग्वालियर द्वारा बताया गया कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन के रोकथाम हेतु गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियमित कार्यवाही की जा रही है। इसकी बैठकें भी सतत रूप से जिले में हो रही हैं। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन की रोकथाम के लिये जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। जिले में खनिजों के अवैध, परिवहन, रोकथाम हेतु 7 चेक पोस्ट स्थापित है, जिनके द्वारा भी पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है।

6. जिला भिण्ड के कलेक्टर द्वारा भी बताया गया कि जिले में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। जिले में 6 चेक पोस्ट स्थापित हैं, जिनके द्वारा भी अवैध खनिजों के परिवहन पर पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि खनिजों की अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु एक साथ 30 से 40 व्यक्तियों का दल क्षेत्र में भेजा जाता है, जिनके द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन पर कार्यवाही की जाती है।

7. जिला दतिया के कलेक्टर द्वारा बैठक में बताया गया कि जिले में जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा खनिजों के अवैध, उत्खनन, परिवहन की रोकथाम हेतु सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है। इनकी बैठकें भी सतत रूप से आयोजित की जाती हैं। जिले में 7 चेक पोस्ट की स्थापना की गई है इनके द्वारा पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है।

8. मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में यह निर्देश दिये गये कि, आयुक्त ग्वालियर चंबल संभाग की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय समन्वय समिति गठित की जाये। इस दल में पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर, चंबल रेंज, मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर चंबल संभाग, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म रहेंगे। इस संभागीय स्तर की समिति द्वारा संभाग में खनिजों के अवैध, उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु सतत रूप से निगरानी रखें एवं जिलों में अवैध उत्खनन, परिवहन आदि की रोकथाम हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध कराने की समय-समय पर समीक्षा की जावे।

9. उक्त निर्देश के साथ बैठक समाप्त घोषित की गई।

T.C.
/


01/3/22
(प्रकाश पन्डे)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

उपस्थित अधिकारीगण

1. श्री राजेश राजौरा, अपर प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग।
2. श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वन विभाग।
3. श्री सुखवीर सिंह, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग।
4. आयुक्त, ग्वालियर एवं चंबल संभाग, म.प्र. (व्ही.सी. के माध्यम से)
5. श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव एवं संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म)
6. पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर एवं चंबल जोन, म.प्र. (व्ही.सी. के माध्यम से)
7. कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय वन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला ग्वालियर, दतिया, मुरैना एवं भिण्ड (व्ही.सी. के माध्यम से)
8. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि के रूप में।

TC
He


01/3/224
(प्रकाश पन्डे)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
-आदेश-

(21)

भोपाल, दिनांक 01/7/2022

क्रमांक

गवालियर/चंबल संभाग में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम के संबंध में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार संभागीय समन्वय समिति का गठन किया जाता है:-

1. आयुक्त, गवालियर/चंबल संभाग- अध्यक्ष
2. पुलिस महानिरीक्षक गवालियर/चंबल रेंज-
3. मुख्य वन संरक्षक गवालियर/चंबल संभाग।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल गवालियर (म.प्र.)।
5. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गवालियर (म.प्र.)
6. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय गवालियर (म.प्र.)।

उपरोक्त समिति निम्न कार्य करेगी:-

1. गवालियर चंबल संभाग में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु सतत रूप से निगरानी रखेगी।
2. गवालियर चंबल संभाग के जिलों में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु आवश्यक बल उपलब्ध कराने की समय-समय पर समीक्षा करेगी।



01/7/22
प्रकाश पन्डे
(अवर सचिव)


म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल दिनांक 01/7/2022

पृ. क्रमांक
प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, खनिज साधन विभाग।
3. आयुक्त, गवालियर/चंबल संभाग।
4. संचालक प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल।
5. पुलिस महानिरीक्षक गवालियर/चंबल रेंज।
6. मुख्य वन संरक्षक गवालियर/चंबल संभाग।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल गवालियर।
8. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गवालियर।
9. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय गवालियर
10. गार्ड फाई।

T.C.



01/7/22
प्रकाश पन्डे
(अवर सचिव)

म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) जिला दतिया (म0प्र0)

22

कमांक 517-A / खनि. / 3-6 / टास्कफोर्स / 20222

दतिया दिनांक 29.06.2022

29-06-22

// जिला टास्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक 22.06.2022 का कार्यवाही विवरण //

कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2022 को समय प्रातः 11.00 बजे जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नानुसार अधिकारीगण उपस्थित रहे :-

कमांक	अधिकारी का नाम
1	पुलिस अधीक्षक, दतिया
2	वनमण्डलाधिकारी जिला दतिया
3	अनुविभागीय अधिकारी दतिया / सेंवड़ा / भाण्डेर
4	प्रभारी अधिकारी खनिज दतिया
5	जिला परिवहन अधिकारी जिला दतिया

विन्दु कमांक-1

जिले में अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु खनिज/राजस्व/पुलिस के संयुक्त उड़नदस्ता दल को निर्देशित किया गया है कि जहां कहीं भी अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डार होना पाया जाता है वहां नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु खनि अधिकारी, दतिया / सेंवड़ा / भाण्डेर के अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया।

(कार्यवाही खनि अधिकारी / एसडीएम)

विन्दु कमांक-2

खनि अधिकारी / परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि अवैध परिवहन एवं ओवर लोडिंग पाये जाने पर क्षेत्र के थाना प्रभारियों से सहयोग प्राप्त करें एवं जिले में वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग न हो, ओवरलोडिंग पाये जाने पर कार्यवाही करने के आदेश दिये।

(कार्यवाही खनि अधिकारी / परिवहन अधिकारी दतिया)

विन्दु कमांक-3

जिले में रेत अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु 05 खनिज जांच नाके स्थापित किये गये हैं, इन जांच नाकों पर राजस्व/पुलिस/वन विभाग के कर्मचारी नियोजित किये गये हैं, इसके अतिरिक्त 02 खनिज उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है। तदनुसार जिले में जिले में रेत खनिज के ओवरलोड वाहन/बिना रायल्टी वाहनों वाहनों पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाकर राजस्व क्षति को रोका जा सके।

(कार्यवाही पुलिस विभाग, खनिज / राजस्व)

T.C.
/

विन्दु क्रमांक-4

वनमण्डलाधिकारी दतिया को वन क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण न हो इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है ताकि वन क्षेत्रों से खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन न हो अवैध उत्खनन परिवहन होने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही वनमण्डलाधिकारी)

विन्दु क्रमांक-5

जिले में स्वीकृत वैधानिक खदानों में जारी हो रही ई-टीपी की समय-समय जांच करना सुनिश्चित करें एवं बिना ईटीपी के वाहन द्वारा खनिज का परिवहन न हो इस संबंध में निर्देश दिये ताकि शासन को राजस्व आय की क्षति न हो।

(कार्यवाही खनि अधिकारी)

विन्दु क्रमांक-6

जिले की नदियों में अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर सतत कार्यवाही की जावे इस संबंध में खनि अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी दतिया/सेंवड़ा/भाण्डेर एवं वनमण्डलाधिकारी को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही खनि अधि./अनु. अधि. राजस्व/वनमण्डलाधिकारी)

बैठक के अंत में बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को धन्यवाद दिया जाकर बैठक समाप्त की गई।



कलेक्टर

जिला दतिया म0प्र0

पृ0 क्रमांक 517-A/खनि./3-6/टास्कफोर्स/2022

दतिया दिनांक 29.08.2022

प्रतिलिपि :-

- 1- आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग ग्वालियर
- 2- संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म 29-ए, अरेरा हिल्स भोपाल।
- 3- पुलिस अधीक्षक जिला दतिया
- 4- वनमण्डलाधिकारी जिला दतिया
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया/सेंवड़ा/भाण्डेर
- 6- प्रभारी अधिकारी खनिज दतिया
- 7- जिला परिवहन अधिकारी जिला दतिया
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्वालियर
- 9- स्टेनो-टू कलेक्टर जिला दतिया
- 10- जनसंपर्क अधिकारी सूचना प्रकाशन विभाग दतिया की ओर प्रकाशन हेतु।

T.C.
/

कलेक्टर

जिला दतिया म0प्र0

कमांक 1136-सिया/2019-कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला दतिया (म0प्र0)
खनि/3-6/सिया/2022

दतिया, दिनांक 28.06.2022

24

//आदेश//

सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) म0प्र0 के आदेश कमांक 1136/सिया/2019 दिनांक 14.06.2019 अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES 2016 जारी की गई है, जिसकी सारणी-9 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नागपुर के पत्र दिनांक 18.01.2018 में उल्लेखित विभिन्न प्रदेशों में मानसून की अवधि प्रकाशित की है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु के लिये मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उक्त संबंध में संचालक भोपाल के पत्र कमांक 5184 दिनांक 15.06.2020 में जिले की नदियों में रेत खनन पर रोक लगाने के संबंध में स्थानीय मौसमी परिवर्तनों के आधार पर निर्धारित वर्षाकाल अवधि में परिवर्तन भी किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः उक्त निर्देशों के पालन में दतिया जिले में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मानसून सत्र की अवधि में दिनांक 30.06.2022 (मध्य रात्रि)के पश्चात से दिनांक 01.10.2022 तक जिले में संचालित समस्त रेत खदानों में खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त अवधि के पूर्व यदि जिले में मानसून सक्रिय हो जाता है अथवा अंतिम तिथि के पश्चात भी मानसून सक्रिय रहता है तो तदानुसार पृथक से आदेश जारी किये जा सकेंगे।

उक्त के अतिरिक्त खदान से रेत निकासी हेतु बनाई गई अस्थाई संरचना जैसे पुल, पुलिया, सड़क हेतु डाली गई मिट्टी, मुरुम आदि मलवा को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाना सुनिश्चित करें। तदानुसार जिले के अनुबंधित ठेकेदार उक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर

जिला दतिया म0प्र0

प्रतिलिपि :-

1. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) पर्यावरण ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल।
2. सचिव, खनिज साधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल।
4. कार्यपालक संचालक, दि0 मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन पर्यावास भावन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. पुलिस अधीक्षक जिला दतिया म0प्र0
6. प्रभारी अधिकारी म0प्र0 राज्य खनिज निगम जिला ग्वालियर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग दतिया/सेवड़ा/भाण्डेर
8. तहसीलदार दतिया/सेवड़ा/भाण्डेर/बड़ौनी
9. स्टेनो-टू कलेक्टर जिला दतिया।
10. खनि निरीक्षक दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मैसर्स के.पी.सिंह भदौरिया कॉन्ट्रेक्टर बलवंत नगर ठाटीपुर जिला ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
12. जिला जनसंपर्क अधिकारी दतिया की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

F.C.
I

कलेक्टर

जिला दतिया म0प्र0

ANNEXURE RR-1/4

25

जिला- दतिया

माह- जून 2022

बिन्दु क्रमांक-2-खनिजों के अवैध उत्खनन पर प्रभावी कार्यवाही ।

विवरण	माह में दर्ज प्रकरणों की संख्या	प्रस्तावित अर्थदण्ड	निराकृत प्रकरणों की संख्या	माह में जमा अर्थदण्ड की राशि
अवैध उत्खनन	निल	निल	निल	निल
अवैध परिवहन	11	216629	03	255000/- (गत माह के 02 निराकृत प्र० की जमा राशि एवं इस माह के निराकृत 01 प्र० की जमा राशि 36250 कुल जमा राशि 291250/-
अवैध भण्डारण	01	302400	निल	निल

D:\yasin khanij\monthly C.M.format pro.doc

T.C.
↓

Email - 12/03/21
12:25

26

कमांक 195-14/खनि/3-6/नाकें/2021 कार्यालय कम्प्यूटर (खनिज शाखा) जिला दतिया (म0प्र0)

दतिया, दिनांक 12.03.2021

// आदेश //

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये निर्देशानुसार एवं जिले में टास्कफोर्स की बैठक दिनांक 07.01.2021 में लिये निर्णय अनुसार जिले में अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम तथा सतत निगरानी रखने हेतु 03 खनिज जांच नाकें स्थापित किये जाकर आदेश दिनांक 18.01.2021 से दल के सदस्यों (पटवारियों) की आगामी अन्य आदेश तक ड्यूटी लगाई गई थी।

अतः आवश्यकतानुसार अतिरिक्त 01 खनिज जांच नाका स्थापित कर एवं पूर्व के आदेश दिनांक 18.01.2021 में नियुक्त दल के सदस्यों में परिवर्तन करते हुये निम्नानुसार दल के सदस्यों (पटवारियों) की आगामी अन्य आदेश तक ड्यूटी लगाई जाती है :-

क्र०	जांच नाका स्थल	दल प्रभारी का नाम	दल के सदस्य का नाम	संबंधित थाने का पुलिस बल	समय-सारणी	दिवस
1	2	3	4	5	6	7
1	गोपालपुरा तिराहा तह. बड़ौनी	सु0श्री मोहनी साहु नायब तहसीलदार बड़ौनी	श्री अभिषेक शर्मा पटवारी मो0 8839775799 श्री अनुपम दुबे पटवारी मो0 8878067078 श्री संजय श्रीवास्तव पटवारी मो0 9893413266 श्री देवेन्द्र शर्मा पटवारी मो0 9926933574 श्री विशाल यादव पटवारी मो0 8878505526 श्री गजेन्द्र कुशवाह पटवारी मो0 9713641504 श्री रामकिशोर सेन पटवारी मो0 9977522513 श्री संदीप तिवारी पटवारी मो0 9826607512 श्री अक्क बिहारी नामदेव पटवारी मो0 9977522513 श्री बृजेश सिंह रावत पटवारी मो0 9340271181	थाना बड़ौनी थाना बड़ौनी थाना बड़ौनी थाना बड़ौनी थाना बड़ौनी थाना बड़ौनी थाना बड़ौनी थाना बड़ौनी थाना बड़ौनी	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	सोमवार, मंगलवार बुधवार, गुरुवार शुक्रवार, शनिवार रविवार

27

		श्री अश्वेन्द्र उदैनिया पटवारी मो0 883975799	थाना बड़ौनी	प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
		श्री हरपाल सिंह लोधी पटवारी मो0 9009666438	थाना बड़ौनी	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक		
2	ग्राम भासड़ा तह. बड़ौनी	सु0 श्री मोहनी साहु नायब तहसीलदार बड़ौनी	श्री राघवेन्द्र शर्मा पटवारी मो0 9617295695	थाना बड़ौनी	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	सोमवार, मंगलवार
		श्री राघवेन्द्र रावत पटवारी मो0 8770906537	थाना बड़ौनी	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
		श्री आशीष कुशवाह पटवारी मो0 8982529698	थाना बड़ौनी	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक		
		श्री शिवम श्रीवास्तव पटवारी मो0 9893948063	थाना बड़ौनी	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	बुधवार, गुरुवार	
		श्री अमरदीप जाटव पटवारी मो0 8989673492	थाना बड़ौनी	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
		श्री दिनेश श्रीवास्तव पटवारी मो0 9893991682	थाना बड़ौनी	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक		
		श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह पटवारी मो0 9685000808	थाना बड़ौनी	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	शुक्रवार, शनिवार	
		श्री संकेत गुप्ता पटवारी मो0 8109334359	थाना बड़ौनी	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
		श्री अंकित उदैनिया पटवारी मो0 7065911645	थाना बड़ौनी	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक		
		श्री शत्रुघन पटवारी मो0 9826999249	थाना बड़ौनी	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	रविवार	
		श्री अनिल शिवहरे पटवारी मो0 8349417159	थाना बड़ौनी	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
		श्री मेनेन्द्र पटवारी मो0 7587967886	थाना बड़ौनी	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक		
3	सुनारी इन्दरगढ़-गोराघाट रोड पर	श्री दीपक यादव नायब तहसीलदार इन्दरगढ़	श्री नरेश जाटव पटवारी मो0 7898325898	थाना गोराघाट	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	सोमवार, मंगलवार
		श्री अमित गंगोटिया पटवारी मो0 7000564472	थाना गोराघाट	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
		श्री विवेक तिवारी पटवारी मो0 9981778230	थाना गोराघाट	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक		

T.C.

✓

		श्री धीराम प्रजापति पटवारी मो0 9753-2241	थाना गोरघाट	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	बुधवार , गुरुवार			
		श्री लक्ष्मण उपाध्याय पटवारी मो0 8817787004	थाना गोरघाट	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक				
		श्री मनोज कुशवाह पटवारी मो0 9977023900	थाना गोरघाट	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक				
				श्री नरेश गुप्ता पटवारी मो0 9039443807	थाना गोरघाट	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	शुक्रवार, शनिवार	
				श्री राजीव नाहर पटवारी मो0 8878367453	थाना गोरघाट	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
				श्री मनोज कुमार चौरसिया पटवारी मो0 9977582425	थाना गोरघाट	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	रविवार	
				श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता पटवारी मो0 9713525344	थाना गोरघाट	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक		
				श्री जितेन्द्र समाधिया पटवारी मो0 8461885775	थाना गोरघाट	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक		
श्री विजय कुमार जाटव पटवारी मो0 9009902642	थाना गोरघाट			रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक				
4	सेंवड़ा लहार रोड			श्री नरेन्द्र यादव नायब तहसीलदार सेंवड़ा	श्री संतोष दोहरे पटवारी मो0 6263624819	थाना सेंवड़ा	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	सोमवार, मंगलवार
					श्री भगवान सिंह कुशवाह पटवारी मो0 9575918856	थाना सेंवड़ा	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	
		श्री मनोज कुमार धाकड़ पटवारी मो0 8319709538	थाना सेंवड़ा		रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक			
		श्री दीपनारायण गौड़ पटवारी मो0 7610594832	थाना सेंवड़ा		प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	बुधवार , गुरुवार		
		श्री विष्णुदत्त शर्मा पटवारी मो0 9009787058	थाना सेंवड़ा		दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक			
		श्री चंद्रकांत विश्वकर्मा पटवारी मो0 8103496117	थाना सेंवड़ा		रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक			
		श्री राजेन्द्र जाटव पटवारी मो0 8889231676	थाना सेंवड़ा		प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	शुक्रवार, शनिवार		
		श्री अमय दिलीप यादव पटवारी मो0 9109481733	थाना सेंवड़ा		दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक			

T.C.

A

A

	श्री अमित शर्मा पटवारी मो0 7898816300	थाना सेवड़ा	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	
	श्री शुभ्र दोहरे पटवारी मो0 9770542424	थाना सेवड़ा	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	रविवार
	श्री राजेन्द्र यादव पटवारी मो0 9754314038	थाना सेवड़ा	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	
	श्री बालसिंह गौतम पटवारी मो0 9630615612	थाना सेवड़ा	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	

उपरोक्तानुसार दल जांच नाके पर खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर संबंधित वाहन को पुलिस बल की सहायता से नजदीकी थाने पर सुरक्षार्थ रखें एवं प्रतिवेदन खनिज शाखा दतिया को आगामी दिवस तक प्रस्तुत करेंगा।
(उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

कलेक्टर
जिला दतिया (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक/खनि/3-6/नाके/2021
प्रतिलिपि :-

दतिया,दिनांक 2021

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2- कार्यपालक संचालक, दि0 मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन भोपाल।
- 3- आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
- 4- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 29-ए, अरेरा हिल्स भोपाल।
- 5- पुलिस अधीक्षक जिला दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- प्रभारी अधिकारी म0प्र0 स्टेट माईनिंग कारपोरेशन उप कार्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया/सेवड़ा/भाण्डेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दतिया/सेवड़ा/भाण्डेर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- तहसीलदार दतिया/सेवड़ा/बड़ौनी/इन्दरगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं संबंधित अधिकारियों/पटवारियों को ड्यूटी आदेश तामिल कराने हेतु।
- 10- जिला जन संपर्क अधिकारी दतिया की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
- 11- सर्व संबंधित श्री.....की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला दतिया (म0प्र0)

659-19 कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया (म0प्र0)

खनि/3-6/नाके/2021

दतिया, दिनांक 19-06-2021

//आदेश//

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये निर्देशानुसार एवं जिले में टास्कफोर्स की बैठक दिनांक 07.01.2021 लिये निर्णय अनुसार जिले में अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम तथा सतत निगरानी रखने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 113-10 दिनांक 18.01.2021 से खनिज जांच नाका सेंवड़ा लहार रोड पर स्थापित किया गया था। रेत ठेकेदार द्वारा दिनांक 04.06.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर सेंवड़ा लहार रोड पर स्थित स्थापित नाका को बदलकर सेंवड़ा मौ रोड पर सनकुआं कंदरपुरा तिराहे के समीप स्थापित करने का निवेदन किया है।

अतः सेंवड़ा लहार रोड पर स्थापित खनिज जांच नाके को बदलकर सेंवड़ा मौ रोड पर सनकुआं कंदरपुरा तिराहे के समीप खनिज जांच नाका स्थापित किया जाता है :-

क्र०	जांच नाका स्थल	दल प्रमारी का नाम	दल के सदस्य का नाम	संबंधित थाने का पुलिस बल	समय-सारणी	दिवस
1	2	3	4	5	6	7
1	सेंवड़ा मौ रोड पर सनकुआं कंदरपुरा तिराहे के समीप	नायब तहसीलदार सेंवड़ा	श्री संतोष दोहरे पटवारी मो0 6263624819	थाना सेंवड़ा	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	सोमवार, मंगलवार
			श्री मगवान सिंह कुशवाह पटवारी मो0 9575918856	थाना सेंवड़ा	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	
			श्री मनोज कुमार धाकड़ पटवारी मो0 8319709538	थाना सेंवड़ा	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	
			श्री दीपनारायण गौड़ पटवारी मो0 7610594832	थाना सेंवड़ा	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	बुधवार, गुरुवार
			श्री विष्णुदत्त शर्मा पटवारी मो0 9009787058	थाना सेंवड़ा	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	
			श्री चंद्रकांत विश्वकर्मा पटवारी मो0 8103496117	थाना सेंवड़ा	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	
			श्री राजेन्द्र जाटव पटवारी मो0 8889231676	थाना सेंवड़ा	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	शुक्रवार, शनिवार
			श्री अमय दिलीप यादव पटवारी मो0 9109481733	थाना सेंवड़ा	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	
			श्री अमित शर्मा पटवारी मो0 7898896300	थाना सेंवड़ा	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	

(31)

श्री शुभम दोहरे पटवारी मो० 9770542424	धाना सेंवढा	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	रविवार
श्री राजेन्द्र यादव पटवारी मो० 9754314638	धाना सेंवढा	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	
श्री बालसिंह गौतम पटवारी मो० 9630615612	धाना सेंवढा	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	

उपरोक्तानुसार दल जांच नाके पर खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर संबंधित वाहन को पुलिस बल की सहायता से नजदीकी थाने पर सुरक्षार्थ रखेंगे एवं प्रतिवेदन खनिज शाखा दतिया को आगामी दिवस तक प्रस्तुत करेंगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

Ghosh
प्रमारी खनि अधिकारी
(खनिज)
जिला दतिया (म०प्र०)

दतिया, दिनांक 14-06-2021

पू० क्रमांक 59-19/खनि/3-6/नाकें/2021
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2- कार्यपालक संचालक, दि० मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन भोपाल।
- 3- आयुक्त ग्वालियर संगम ग्वालियर।
- 4- संचालक, भौगिकी तथा खनिकर्म 29-ए, अरेसा हिल्स भोपाल।
- 5- पुलिस अधीक्षक जिला दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- प्रमारी अधिकारी म०प्र० स्टेट माईनिंग कारपोरेशन उप कार्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दतिया/सेंवढा/भाण्डेर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) दतिया/सेंवढा/भाण्डेर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- तहसीलदार दतिया/सेंवढा/बड़ौनी/इन्दरगढ़ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं संबंधित अधिकारियों/पटवारियों को ड्यूटी आदेश तामिल कराने हेतु।
- 10- जिला जन संपर्क अधिकारी दतिया की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
- 11- सर्व संबंधित श्री.....की ओर पालनार्थ।

Email- 14-06-2021
3:45 PM

Ghosh
प्रमारी खनि अधिकारी
(खनिज)
जिला दतिया (म०प्र०)

Janal
14/6/21

TC.
Jr

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया (म0प्र0)
नांक 1118-11/खनि/3-6/नाकें/2021

दतिया, दिनांक 29/9/2021

//आदेश//

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिये निर्देशानुसार एवं जिले में टास्कफोर्स की बैठक दिनांक 07.01.2021 में लिये निर्णय अनुसार जिले में अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम तथा सतत निगरानी रखने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 113-10 दिनांक 18.01.2021 से पूर्व में 04 खनिज जांच नाके स्थापित किये गये हैं।

सेत ठेकेदार द्वारा दिनांक 29.09.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर भिण्ड जिले के बेडागांव के नीचे दतिया जिले की सीमा में अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु 01 अतिरिक्त खनिज जांच नाका स्थापित किये जाने का निवेदन किया है।

अतः निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाकर खनिज जांच नाका स्थापित किया जाता है :-

क्र०	जांच नाका स्थल	दल प्रमारी का नाम	दल के सदस्य का नाम	संबंधित थाने का पुलिस बल	समय-सारणी	दिवस
1	2	3	4	5	6	7
1	भिण्ड जिले के बेडागांव के नीचे बिजोरा मौजा दतिया जिले की सीमा में तह0 सेंवड़ा	नायब तहसीलदार सेंवड़ा	श्री भगवती प्रसाद आर.आई मो0 6260135238 श्री दीपक तिवारी पटवारी मो0 8889962558 श्री मनोज कुमार धाकड़ पटवारी मो0 8319709538 श्री अशोक गौतम आर.आई. मो0 7987736110 श्री विष्णूदत्त शर्मा पटवारी मो0 9009787058 श्री चंद्रकांत विश्वकर्मा पटवारी मो0 8103496117	थाना सेंवड़ा थाना सेंवड़ा थाना सेंवड़ा थाना सेंवड़ा थाना सेंवड़ा थाना सेंवड़ा	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	सोमवार, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, शनिवार

Tc.
/r

श्री राजेन्द्र जाटव पटवारी मो0 8889231676	थाना सेंवढा	प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक	रविवार
श्री अभय दिलीप यादव पटवारी मो0 9109481733	थाना सेंवढा	दोपहर 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक	
श्री अभित शर्मा पटवारी मो0 7898896300	थाना सेंवढा	रात्रि. 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक	

उपरोक्तानुसार दल जांच नाके पर खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर संबंधित वाहन को पुलिस बल की सहायता से नजदीकी थाने पर सुरक्षार्थ रखेंगे एवं प्रतिवेदन खनिज शाखा दतिया को आगामी दिवस तक प्रस्तुत करेंगा।

कलेक्टर

जिला दतिया (म0प्र0)

दतिया, दिनांक 29/9/2021

Cancel - 29/9/2021
6:53 pm

पृ0 क्रमांक 1118-4/खनि/3-6/नाकें/2021
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2- कार्यपालक संचालक, दि0 मध्य प्रदेश स्टेट माईनिंग कारपोरेशन भोपाल।
- 3- आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर।
- 4- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 29-ए, अरेरा हिल्स भोपाल।
- 5- पुलिस अधीक्षक जिला दतिया की ओर खनिज जांच नाके हेतु पुलिस बल की ड्यूटी लगाये जाने हेतु।
- 6- प्रभारी अधिकारी म0प्र0 स्टेट माईनिंग कारपोरेशन उप कार्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंवढा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सेंवढा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9- तहसीलदार सेंवढा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं संबंधित अधिकारियों/पटवारियों को ड्यूटी आदेश तामित कराने हेतु।
- 10- जिला जन संपर्क अधिकारी दतिया की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
- 11- सर्व संबंधित श्री.....की ओर पालनार्थ।

7/0
1/0

29/9/2021

कलेक्टर
जिला दतिया (म0प्र0)

जिला टॉस्कफोर्स समिति की बैठक दिनांक-11/04/2022 का कार्यवाही विवरण:-

34

जिला टॉस्कफोर्स समिति की बैठक आज दिनांक-11/04/2022 को सांय-04:00 बजे कलेक्टर जिला ग्वालियर के सभाकक्ष में आयोजित की गई जिसमें समिति के निम्नांकित सदस्य/पदाधिकारीगण उपस्थित रहे हैं :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम
1-	कलेक्टर जिला ग्वालियर
2-	पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर
3-	वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर
4-	अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर
5-	प्रभारी खनि.अधिकारी जिला ग्वालियर

उक्त बैठक में निम्नानुसार विन्दुओं पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया है कि:-

- 1- जिले में अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु खनिज/राजस्व/पुलिस विभाग का संयुक्त उड़नदस्ता दल पूर्व से कार्यालयीन आदेश दिनांक-25/06/2020 से गठित किया गया है तदनुसार उक्त उड़नदस्ता दल को निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ कहीं भी अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण होना पाया जाता है वहाँ नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये पालन प्रतिवेदन आगामी बैठक के पूर्व प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अपर कलेक्टर/खनिज अधिकारी)

- 2- जिले में रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम एवं सतत् निगरानी रखे जाने हेतु कुल 11 रेत जाँच नाके स्थापित किये गये हैं। इन जाँच नाकों पर राजस्व/पुलिस एवं वन विभाग के कर्मचारी नियोजित किये गये हैं इसके अतिरिक्त रेत के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु 03 उड़नदस्ता दल गठित किये गये हैं। तदनुसार जिले में रेत खनिज के ओवरलोड वाहन/विना सॉयल्टी वाहनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुये संबंधित अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि रेत के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाया जाकर शासन की राजस्व क्षति को रोका जा सके।

(कार्यवाही-एस.डी.एम./तहसीलदार/खनिज अधिकारी)

- 3- जिले में फर्शी पत्थर भण्डारण स्थलों पर विना वैधानिक पारपत्र के चोरी का फर्शी पत्थर स्टॉक किये जाने की रांभावनाओं के मद्देनजर फर्शी पत्थर भण्डारण स्थलों की जाँच/सत्यापन हेतु पूर्व निर्देशानुसार खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक)

T.C.
/

- 4- जिले में सोन चिरैया अभ्यारण घाटीगाँव क्षेत्रान्तर्गत वन क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु राजस्व/वन/खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जाँच कार्यवाही सम्पादित कर अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्संबंध में पालन प्रतिवेदन आगामी बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-अनुविभागीय अधिकारी वन/राजस्व/खनिज अधिकारी)

- 5- जिले में वैधानिक खदानों में जारी की जा रही ई-टी.पी. की भी समय-समय पर जाँच सुनिश्चित की जावे ताकि शासन की राजस्व चोरी को रोका जा सके। इस संबंध में पूर्व आयोजित बैठक में भी निर्देश प्रदान किये गये हैं।

(कार्यवाही-खनिज अधिकारी)

- 6- जिले में निर्माणाधीन शासकीय निर्माण कार्यों में संबंधित ठेकेदारों द्वारा प्रयुक्त गौण खनिज की रॉयल्टी राशि का अपवंचन न हो इस हेतु संबंधित ठेकेदारों के चलित/अंतिम देयकों से रॉयल्टी राशि काटकर चेक अथवा खनिज मद 0853 में चालान के माध्यम से जमा कराने हेतु संबंधित निर्माण विभागों को निर्देशित करने हेतु खनिज अधिकारी ग्वालियर को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही-खनिज अधिकारी)

T.C.
/

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
कलेक्टर
जिला ग्वालियर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर (म०प्र०)

नाम-क्यू/3/मा.रा./रेत खदान/2022/11254

ग्वालियर दिनांक- 27/06/2022

/आदेश/

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES 2016 के निर्देशों एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर के पत्र दिनांक-18/01/2016 के परिपेक्ष्य में पूर्व में गठित जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) जिला ग्वालियर द्वारा जिले में वर्षा ऋतु के लिये मानसून सत्र की अवधि का निर्धारण किया जाकर मानसून सत्र की अवधि पूर्व में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक के लिये निर्धारित की गई है।

उपरोक्तानुसार जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में ग्वालियर जिले में मानसून सत्र की अवधि दिनांक-01/07/2022 से 30/09/2022 तक के लिये पुनः निर्धारित की जाकर जिला ग्वालियर में स्वीकृत रेत खदानों में मानसून सत्र की अवधि में रेत खनन का कार्य दिनांक-30/06/2022 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से एतद् द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

प्रमारी खनि.अधिकारी
वास्ते कलेक्टर जिला ग्वालियर

ग्वालियर दिनांक- /06/2022

पृष्ठ.क्रमांक-क्यू/3/मा.रा./रेत खदान/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म०प्र० शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
- 2- संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3- कार्यपालक संचालक, म०प्र० राज्य खनिज निगम, पर्यावरण भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया ई-खनिज पोर्टल में रेत खदानों से संबंधित ई-टी.पी. पर मानसून सत्र की अवधि के लिये अस्थाई रूप से रोक लगाने का कष्ट करें।
- 4- आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 5- अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मोतीमहल ग्वालियर की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (रा०) डबरा/भितरवार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- तहसीलदार, डबरा/भितरवार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 8- प्रमारी अधिकारी, म०प्र० राज्य खनिज निगम उप कार्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल पालनार्थ प्रेषित।
- 9- खनिज निरीक्षक जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 10- ठेकेदार एम.पी.सेल्स कॉर्पोरेशन अधिकृत श्री मनोज अग्रवाल नि.-6, रामजानकी मंदिर, जीवाजीगंज मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

प्रमारी खनि.अधिकारी
वास्ते कलेक्टर जिला ग्वालियर

/आदेश/

कार्यालयीन आदेश दिनांक-19/01/2021 से जिले में अवैध रेत परिवहन की रोकथाम तथा सतत निगरानी रखने हेतु खनिज जॉच नाके स्थापित कर इन जॉच नाकों पर पटवारियों/पुलिस बल को नियोजित कर ड्यूटी लगाई गई थी। दिनांक-08/09/2021 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर द्वारा पत्र दिनांक-08/09/2021 से संबंधित थानों के पुलिस बल को नामांकित करते हुये सूची उपलब्ध कराई गई है इसी संदर्भ में वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर द्वारा पत्र दिनांक-09/09/2021 से नाकों पर संलग्न किये जाने वाले कर्मचारियों (वनपाल/वनरक्षकों) की सूची उपलब्ध कराई गई हैं। तदानुसार कार्यालय से जारी पूर्व आदेश के अनुक्रम में उक्त जॉच नाकों के सुचारु रूप से संचालन हेतु पूर्व के एवं नवीन कर्मचारियों का शामिल करते हुए इन जॉच नाकों पर निम्नांकित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से संलग्न किया जाता है:-

क्र.	जॉच नाका स्थल	नियोजित पटवारी का नाम	संबंधित थाने का पुलिस बल	वन विभाग के संलग्न कर्मचारी	समय सारणी
1	बिजौली	श्री रामेन्द्र भदौरिया मो.-7587966760	आर/319 श्री सतीश	श्री विमल मिंज	प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक
		श्री गौरव चौहान मो.-8109951294	आर/1130 श्री अमर सिंह	श्री भारत भूषण भार्गव	दोपहर 02:00 बजे से 10:00 बजे तक
		श्री राहुल दुबे मो.-9074717241	आर/2832 श्री योगेन्द्र	श्री सतीश सविता	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
		श्री गजराज नरवरिया मो.-9926223506			
2	उटीला	श्री राहुल भदौरिया	आर/2803 श्री अंकित	श्री कुंजविहारी श्रीवास्तव	प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक
		श्री दशरथ धाकड़	आर/2028 श्री कृष्ण पाल	श्री जमुनाप्रसाद चौरिया	दोपहर 02:00 बजे से 10:00 बजे तक
		श्री अवधेश यादव	आर/2208 श्री अरविन्द	श्री बबलू त्यागी	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
3	पुरानी छावनी	श्री सुरेश कुशवाह मो.-8818899404	प्र.आर./1343 श्री मुकुट सिंह	श्री अजय शर्मा	
		श्री पवन नरवरिया मो.-9039453896	प्र.आर./951 श्री रविन्द्र शर्मा	श्री अरविन्द भदौरिया	दोपहर 02:00 बजे से 10:00 बजे तक
		श्री जहार सिंह धाकड़ मो.-6266485	आर/723 श्री आदिराम	श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
4	भितरवार	श्री विकास राठौर	प्र.आर.(कार्य.)/69 श्री दिनेश यादव	श्री संजय अर्गल	प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक
		श्री संजय यादव	आर/2963 श्री अंकित शर्मा	श्री दिनेश शर्मा	दोपहर 02:00 बजे से 10:00 बजे तक
		श्री मनोज नरवरिया	आर/2775 श्री रघुनन्दन सिंह	श्री संजय राजावत	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक



T.C.
/

नयागाँव	श्री निशान्त शर्मा मो.9425756542	आर/808 श्री रविन्द्र जाट	श्री दीपक भदौरिया	प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक
	श्री अजीत अग्रवाल	आर/2221 श्री संजय परमार	श्री सत्येन्द्र मिश्रा	दोपहर 02:00 बजे से 10:00 बजे तक
	श्री विकांस जैन मो.-9752746183	आर/600 श्री योगेन्द्र सिकरवार	श्री विवेक कन्याल	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
6 डबरा	श्री सुरेश जाटव मो.-9907574375	आर/492 श्री जितेन्द्र	श्री पान सिंह धाकड़	प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक
	श्री सिद्धेश्वरराम भगत मो.-9926807136	आर/657 श्री महेन्द्र	श्री लालकृष्ण कुशवाह	दोपहर 02:00 बजे से 10:00 बजे तक
	श्री अमित सागोरिया मो.-9131684227	आर/254 श्री कृष्णकांत पालिया	श्री आशीष गुप्ता	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
	श्री सुन्दर सिंह राणा मो.-9893083090			
7 महाराजपुरा	श्री दीवान सिंह राजपूत मो.-7000735814	आर/1816 श्री देवेन्द्र सिंह	श्री मयंक सिंह तोमर	प्रातः 06:00 बजे से 02:00 बजे तक
	श्री हरिमोहन राजपूत मो.-9827799710	आर/1243 श्री सतेन्द्र तोमर	श्री आशीष कुमार गुप्ता	दोपहर 02:00 बजे से 10:00 बजे तक
	श्री पंकज शर्मा मो.-8516802411	आर/2767 श्री नागेन्द्र सिंह	श्री संदीप सिंह यादव	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
	श्री दीपेन्द्र राजौरिया मो.-6263824026			

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
जिला ग्वालियर

ग्वालियर दिनांक- 10/09/2021

पृष्ठां. क्रमांक-क्यू./3/मा.रा./रेत नाके/2020/8996
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव म.प्र.शासन खनिज साधन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- कार्यपालक संचालक, म.प्र.राज्य खनिज निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- पुलिस अधीक्षक जिला ग्वालियर की ओर प्रेषित पत्र दिनांक-08/09/2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल ग्वालियर की ओर प्रेषित पत्र दिनांक-09/09/2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7- अपर संचालक जन संपर्क विभाग मोतीमहल ग्वालियर की ओर स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 8- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9- संबंधित तहसीलदार तहसील.....की ओर संबंधित पटवारियों को ड्यूटी आदेश तामील कराने हेतु।
- 10- खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 11- सर्व संबंधित श्रीकी ओर पालनार्थ प्रेषित।

T.C.
I

कलेक्टर
जिला ग्वालियर

जाले में समस्त खनिजों के अवैध परिवहन जून 2022 की रिश्ति की जानकारी :-

प्रकरण क्रमांक / दिनांक	वाहन क्रमांक / वाहन प्रकार	खनिज / मात्रा घन.मी.	अपराधी का नाम एवं पिता का नाम	अपराध का प्रकार	थाना / कार्यालय / एफआई आर क्रमांक	अपराध क्रमांक	अपराध की विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
298, दिनांक- 06/06/22	डम्फर RJ11GB6820	गिट्टी 28	बटूरी सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह	अवैध परिवहन	विलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 50,400 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 - कुल राशि 4,50,400 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
299, दिनांक- 06/06/22	डम्फर RJ11GB3720	गिट्टी 28	रवि राजपूत पुत्र श्री टीकम सिंह	अवैध परिवहन	पुरानी छावनी	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है।
300, दिनांक- 15/06/22	डम्फर MP07HB6431	रेत 02 ✓	नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह	अवैध परिवहन	उटीला	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 3,750 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 27,257 - कुल राशि 31,007 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
301, दिनांक- 15/06/22	डम्फर MP07GA3488	गिट्टी 12	वीरू राठौर पुत्र श्री पुरुषोत्तम	अवैध परिवहन	डबरा देहात	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 21,600 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 1,00,000 - कुल राशि 1,21,600 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
302, दिनांक- 15/06/22	डम्फर MP07GA4228	गिट्टी 12	मनीष चौरसिया पुत्र श्री रामचन्द्र	अवैध परिवहन	सिरोल	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 21,600 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 1,00,000 - कुल राशि 1,21,600 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
303, दिनांक- 15/06/22	डम्फर MP07HB4895	रेत 02 ✓	सुनील सिंह पुत्र श्री भरोसी लाल	अवैध परिवहन	तिघरा	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 3,750 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 42,553 - कुल राशि 46,303 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
304, दिनांक- 15/06/22	ट्रेक्टर -ट्रॉली MP07AB9373	रेत 05 ✓	अनिल पुत्र कालीचरन	अवैध परिवहन	पिछोर/ 117/22	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 9,375 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 25,000 - कुल राशि 34,375 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया

T.C.
/

22	ट्रेक्टर-टॉली MP07AB5035	रेत 05	अजान पुत्र श्री बनवारी	अवैध परिवहन	पिछोर / 80/22	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 9,375 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 25,000 - कुल राशि 34,375 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया	
5/06/22	डम्फर MP07GA3563	रेत 10	प्रदीप सिंह पुत्र महेन्द्र पाल	अवैध परिवहन	गितरवार	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 18,750 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 1,00,000 - कुल राशि 1,18,750 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया	
0	307, दिनांक- 20/06/22	डम्फर RJ11GB7921	गिट्टी 03	वरुण कुमार पुत्र श्री यादव	अवैध परिवहन	बिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 5,400 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 54,546 - कुल राशि 59,946 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
11	308, दिनांक- 20/06/22	डम्फर RJ11GB1600	गिट्टी 03	पप्पू सिंह पुत्र भूप सिंह	अवैध परिवहन	बिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 5,400 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 50,000 - कुल राशि 55,400 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
12	309, दिनांक- 20/06/22	डम्फर MP07HB7258	गिट्टी 24	भरत गोस्वामी पुत्र श्री केदार	अवैध परिवहन	सिरौल	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 43,200 - रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 - कुल राशि 4,43,200 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
13	310, दिनांक- 20/06/22	डम्फर MP07HB3907	गिट्टी	महेश बाथम पुत्र श्री जगदीश	अवैध परिवहन	हजीरा	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	प्रकरण निराकरण हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रचलन में है।
14	311, दिनांक- 23/06/22	डम्फर MP07GA3686	रेत 14	सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश	अवैध परिवहन	भितरवार	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 26,250 -रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 1,00,000 - कुल राशि 1,26,250 /-जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
15	312, दिनांक- 29/06/22	डम्फर UP83BT2787	रेत 04	इकलास खान पुत्र अजीज खान	अवैध परिवहन	डबरा देहात	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 7,500 -रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 85,106 -कुल राशि 92,606 /-जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
6	313, दिनांक- 29/06/22	डम्फर RJ11GB2211	रेत 04	पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्यवीर	अवैध परिवहन	बिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अथर्दण्ड राशि 7,500 -रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 67,255 -कुल राशि 74,755 /- जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया

T.C.
H

22	डम्फर UP83BT0298	गिट्टी 12	सुनील रावत पुत्र श्री माखन लाल	अवैध परिवहन	दिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अर्थदण्ड राशि 21,600 -रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,00,000 -कुल राशि 2,21,600 /-जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
15. दिनांक- 29/06/22	डम्फर RJ11GB2177	डस्ट	प्रेम सिंह पुत्र श्री कलुआ	अवैध परिवहन	दिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	प्रकरण निराकरण हेतु क्लैक्टर न्यायालय में प्रचलन में है।
19 316. दिनांक- 29/06/22	डम्फर MP07HB6348	गिट्टी 12	भगवान राना पुत्र दरगपाल	अवैध परिवहन	दिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अर्थदण्ड राशि 21,600 -रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,00,000 -कुल राशि 2,21,600 /-जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
20 317. दिनांक- 30/06/22	डम्फर MP07HB4780	रेत 03 /	श्रीमती दिलकेश पत्नी कुशल सिंह	अवैध परिवहन	दिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अर्थदण्ड राशि 5,625 -रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 75,000 -कुल राशि 80,625 /-जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
21 318. दिनांक- 30/06/22	डम्फर RJ11GB4617	डस्ट 22	जगदीश पुत्र उत्तम गुर्जर	अवैध परिवहन	दिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अर्थदण्ड राशि 39,600 -रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 4,00,000 -कुल राशि 4,39,600 /-जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया
22 319 दिनांक- 30/06/2022	डम्फर MP07HB7241	गिट्टी 12	मौं शीतला एसोसिएट	अवैध परिवहन	दिलौआ	भा.द.स.1860 414, एम.एम.डी. आर. -4(A)21(1)	अर्थदण्ड राशि 21,600 -रूपये एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 2,00,000 -कुल राशि 2,21,600 /-जमा कराई जाकर वाहन मुक्त किया गया

टीप:-

- 1- जिले में माह जून 2022 में अवैध रेत परिवहन में 09 वाहनो में रेत खनिज की मात्रा 49.00 घन मी जप्त कर अर्थदण्ड राशि रूपये 6,39,046/-अधिरोपित की कर 09 वाहनो में अर्थदण्ड राशि रूपये 6,39,046/-जमा कराई गई ।
- 2- जिले में माह जून 2022 में 02 वाहन पर संबंधित थानो में एफआईआर दर्ज कराई गई

T.C.
/

[Signature]
प्रभारी खनिज अधिकारी
खनिज शाखा
जिला ग्वालियर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना (म.प्र.)
क्रमांक / सानिज / टारक / 2022-23 / 702 H

मुरैना, दिनांक 24/06/2022

42

दिनांक 24.06.2022 को कलेक्टर महोदय मुरैना की अध्यक्षता में आयोजित
टारकफोर्स बैठक का कार्यवाही विवरण

कलेक्टर श्री वी. कार्तिकेयन (IAS) अधोहरस्ताधारकर्ता की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में दिनांक 24.06.2022 को प्रातः 11:00 बजे जिला स्तरीय टारकफोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष वागशी (IPS), वनमण्डलाधिकारी श्री स्वरूप दीक्षित (IFS), अपर कलेक्टर, जिला खनिज अधिकारी श्री एस०के० निर्मल, जिला आवकारी अधिकारी निधि जैन, जिला खाद्य अधिकारी, आपधि अधिकारी, खनि निरीक्षक मुरैना एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

एजेण्डा :- आज के टारकफोर्स एजेण्डा की चर्चा करते हुये सभी प्रकार के माफियाओं पर कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये कहा कि,

1- रेत खनिज माफिया-अवैध रेत पर विशेषकर चंबल का प्रतिबंधित रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने वास्तु सुनियोजित तरीके से चर्चा कर तैयारी की जावे।

साथ ही वनमण्डलाधिकारी कार्यवाही की जानकारी अपर कलेक्टर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं खनिज विभाग के साथ साक्षात् कर पोर्टल पर अपडेट करवाने के लिये देंगे। पुलिस, वन, खनिज, राजस्व विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर रेत पर आगे भी कार्यवाही करेंगे। अवैध रेत परिवहन में रालिप्त में वाहन राजसात करने की कार्यवाही करें एवं एफ.आई.आर. दर्ज करावें।

2- नाका :- चंबल नदी से अवैध रेत परिवहन पर रोकथाम किये जाने हेतु नाकों पर स्थापित कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह प्रभावी कार्यवाही की जावे एवं जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

3- रेत से भिन्न अन्य गौण खनिज माफिया-अन्य गौण खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में संयुक्त रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने वास्तु सुनियोजित तरीके से चर्चा कर तैयारी की जावे।

4- मिलावट माफिया से मुक्ति अभियान-मिलावट के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जावेगी, जिसका मैसेज जिले व राज्य स्तर पर अच्छा जावे। जिले में मिलावट से मुक्त की दशा में, पुलिस, राजस्व, खाद्य विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करें। नियमानुसार F.I.R. /N.S.A.की कार्यवाही भी की जावे। साथ ही मिलावट करने वाले व्यक्तियों के मकान तौडने की कार्यवाही की जावे एवं न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना जमा कराये जाने हेतु संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया गया।

5- शराब माफिया- अवैध शराब के आवकारी विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, जमीनी स्तर तक कार्यवाही करें। मिलावटी या जहरीली शराब जिले में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो, इसमें लगातार कार्यवाही की जरूरत है। साथ ही NSA व वाहनों के राजसात की कार्यवाही भी होना चाहिये। आदतन अवैध शराब माफियाओं को विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर मकान तौडने की कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करें।

6- भू माफियाओं पर कार्यवाही :- नगरनिगम, मुरैना अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन करेंगे जो शाराकीय भूमि हैं और उन पर अतिक्रमण है या कच्चा है। उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चलायेगा। साथ ही सभी एसडीएम, तहसीलदार, अपने क्षेत्रांतर्गत भू माफियाओं पर पुलिस की मदद से कार्यवाही करेंगे तथा एफ.आई.आर. या एन.एस.ए. की कार्यवाही संभव हो करेगे तथा भू माफियाओं के मकान तौडने की कार्यवाही की जावे।

T.C.
/

- 7- गुंडा अभियान- पुलिस अधीक्षक के माफिया, भू माफिया, खनिज रेत माफिया, शराब माफिया, खाद्य माफिया, राशन माफिया के अंतर्गत पकड़े गये आरोपियों पर पुलिस द्वारा ऐसे सभी लोगों पर नियमानुसार एफआईआर कर जरूरत हो तो एनएफए की कार्यवाही करें। सभी थाना प्रभारी व एसडीओपी पुलिस यह कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिन किसी थाना प्रभारी व एसडीओपी या वीट प्रभारी की कमी पेशी या लापरवाही सामने आई उन पर कार्यवाही होगी। राजस्व अधिकारी पुलिस के मिलकर सहयोग देंगे। यदि गुंडा या बदमाश कोई रंगदारी कर पायरिंग करता है तो उनके लाइसेंस निरस्त कर जुलूस निकालकर उनके मकान तौड़ने की कार्यवाही की जाये।
- 8- राशन माफिया-जिले की राशन दुकानों पर होने वाली राशन की अनियमितताओं की जांच कर, दोषियों पर FIR दर्ज करना सुनिश्चित किया जावे, जिससे गरीबों के राशन का दुरुपयोग नहीं हो, कार्यवाही होना चाहिये। राशन माफियाओं के मकान तौड़ने की कार्यवाही की जावे।

पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये आदतन अपराधियों के विरुद्ध एफ.आई. आर. दर्ज कर, आवश्यक होने पर रासुका की कार्यवाही के साथ, नियमानुसार मकान तौड़ने की कार्यवाही की जावे।

वनमण्डलाधिकारी मुरैना द्वारा एस.ए.एफ. एवं वन विभाग की टीम द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी देते हुये आगामी दिवसों में और अधिक से अधिक संयुक्त कार्यवाही की जावे। इस प्रकार कार्ययोजना बनायी जावे।

नोट- अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्देश दिये कि, माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये स्पष्ट निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही प्रत्येक क्षेत्र में की जावे। कार्यवाही करते समय आमजनो एव अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जावे एवं की गई कार्यवाही की एंटी ऑनलाइन पोर्टल पर समय समा में करना सुनिश्चित करें।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कलेक्टर सभाकक्ष में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद के साथ इस अपेक्षा से बैठक समाप्त की घोषणा की गई कि आने वाले समय में जिले में अच्छी कार्यवाही होगी।

कलेक्टर
जिला मुरैना (न.प्र.)

मुरैना दिनांक

पु.क्रमांक/खनिज/टास्क./2022-23
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय टास्कफोर्स समिति, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, चम्बल सभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संचालक, भौतिकी तथा खनिकर्म, खनिज भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौतिकी तथा खनिकर्म, मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. वनमण्डलाधिकारी, मुरैना/ अधीक्षक रा.च.अ. देवरी की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अपर कलेक्टर/अति.पुलिस अधीक्षक, जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्नाह/मुरैना/जौरा/सरलमह की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. खनि अधिकारी/आवकारी अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी/जिला आपूर्ति अधिकारी/खाद्य एवं औषधि अधिकारी जिला मुरैना की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
12. जनसंपर्क अधिकारी, जिला मुरैना की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर
जिला मुरैना (न.प्र.)

T.C.
I

परिशिष्ट - 4
ANNEXURE R-1/11

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल मुरैना (गोप्रो)

44

राष्ट्रीय रोड पोस्ट ऑफिस, मुरैना
फोन नं० 07532-234742 E-Mail - gfo@moef.gov.in

संख्या - वन/मुरैना/22/3262

मुरैना दिनांक 08.07.22

खनिज अधिकारी
मुरैना

विषय - चम्बल नदी से आने वाली रेत के लब्ध में चैक पोस्ट का विवरण एव माह जून 2022 में अंतिम उत्खनन परिदृश्य मखरना पर की अग्रवाही (पी.ओ.आर. राजसात उत्खनन कर्ताओं का विवरण)सहित जानकारी भिजवाने कायदा ।

संदर्भ - अग्रवाही कार्यवाही पत्र क्र / खनिज / विधि / 2022 / तयु। दिनांक 07.07.2022 ।

—000—

विषयवस्तुगत लेख है कि, संदर्भित पत्र के माध्यम से चम्बल नदी से आने वाली रेत एव चैक पोस्ट नामों के लब्ध में चाही गई पाछित जानकारी माह जून 2022 की अवतन स्थिति में प्रपत्र पर तैयार कर आपकी ओर अग्रहित है ।

वनोपज चैकिंग नाका की जानकारी

S.N.	Circle name	Division name	Range name	Check Post name	Latitude (Decimals)	Longitude (Decimals)
1	2	3	4	5	6	7
	Gwalior	Morena	Morena	अनंतलक्ष्मी वनोपज चैकिंग नाका धौलपुर रोड मुरैना	N26°31'28"90"	E77°57'58"20"

T.C.

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल मुरैना

27/6/2022 - 27 (J)

ANNEXURE RR-1/12

95

Registered Illegal Cases

District :- MORENA

Month June 2022

(1) S. No.	(2) Case Reg. No.	(3) Case Reg. Date.	(4) Name and address of person Involved in Illegal Transport.	(5) Seizure Details.	(6) Registration No.	(7) Mineral Seized.	(8) Mineral Quantity	(11) Imposed Penalty (Rs.)	(12) Deposited Penalty (Rs.)	(16) Officer's Remarks.
1	46/2022-23	3/6/2022	KOMAL S/O BANVARI & OTHER, VILL MAJRA THESIL JOURA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP07GA2874	Khanda/Dhoka	4.000 - Cubic Meter	32200	0	illegal transport
2	47/2022-23	3/6/2022	NARENDRA GURJAR S/O VISHAL GURJAR & OTHER, VILL KASHIPUR THESIL JOURA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AA3891	Khanda/Dhoka	4.000 - Cubic Meter	32200	0	illegal transport
3	48/2022-23	3/6/2022	SURESH CHAND S/O KHACHERI RAM & OTHER, SHINDE KI CHHAWANI LASHKAR GWALIOR MP	Vehicle/Tractor Trolley	MP06E3518	Khanda/Dhoka	4.000 - Cubic Meter	32200	0	illegal transport
4	49/2022-23	3/6/2022	AJAD KHAN S/O AJEEJ KHAN * OTHER, VILL PAROLI THESIL BANMORE DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP30M5754	Khanda/Dhoka	3.000 - Cubic Meter	30400	0	illegal transport
5	50/2022-23	3/6/2022	ISHAV KHAN S/O BHOLA KHAN & OTHER, JOURA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06E4201	Khanda/Dhoka	2.000 - Cubic Meter	19250	0	illegal transport
6	51/2022-23	3/6/2022	RAJPAL DHAKAD S/O PATIRAM DHAKAD, VILL PIPRONIYA THESIL KAILARAS DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Khanda/Dhoka	4.000 - Cubic Meter	32200	0	illegal transport
7	52/2022-23	3/6/2022	FRADEEP DHAKAD S/O CHATURE LAL DHAKAD, VILL KATTOLI KA PURA THESIL KAILARAS DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AC8734	Khanda/Dhoka	4.000 - Cubic Meter	32200	0	illegal transport
8	53/2022-23	3/6/2022	LAL SINGH (LALA) S/O KAPTAN SINGH SIKARWAR & OTHER, VILL BARAHANA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Sand	2.000 - Cubic Meter	0	0	illegal transport
9	54/2022-23	3/6/2022	MAHESH SINGH GURJAR S/O RAMDAYAL SINGH GURJAR, VILL LOHGARH POST DHANELA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AA5343	Khanda/Dhoka	3.000 - Cubic Meter	30400	0	illegal transport
10	55/2022-23	3/6/2022	RAM SINGH TOMAR S/O RANVEER SINGH TOMAR, VILL KASMDA THANA MAHUA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AB3623	SOIL	6.000 - Cubic Meter	29500	29500	illegal transport
11	56/2022-23	3/6/2022	RAMESH SAKHWAR S/O HAKIM SINGH, VILL KASMDA THANA MAHUA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AD0376	SOIL	5.000 - Cubic Meter	28750	28750	illegal transport
12	57/2022-23	8/6/2022	DHARAM SINGH S/O MALKHAN SINGH, GAJKHEDA THESIL SABALGRAH DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AC3807	Khanda/Dhoka	3.000 - Cubic Meter	30400	0	illegal transport
13	58/2022-23	8/6/2022	VEERENDRA SINGH S/O RAJARAM, VILL RASHEELPUR	Vehicle/Tractor Trolley	MP06HC2449	Gitti	0.000 - Cubic Meter	0	0	illegal transport
14	59/2022-23	10/6/2022	DHARMVEER SINGH GURJAR S/O ATAR SINGH GURJAR, NAYAGAUN KOTE KA PURA BANMORE DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Flag Stone	2.000 - Cubic Meter	35500	0	illegal transport
15	60/2022-23	10/6/2022	DINESH DHAKAD S/O RANCHANDRA DHAKAD, VILL CHACHHA THESIL JOURA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AA5265	SOIL	4.000 - Cubic Meter	28000	0	illegal transport
16	61/2022-23	10/6/2022	NASHEEB KHAN S/O NABAB KHAN, CHAK PAROLI THESIL BANMORE DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP20HA8110	Khanda/Dhoka	2.000 - Cubic Meter	28600	0	illegal transport
17	62/2022-23	13/6/2022	DHARMPAL KUSHWAH S/O MALKHAN KUSHWAH, PURANI CHAWANI GWALIOR MP	Vehicle/Tractor Trolley	MP07AA8792	Khanda/Dhoka	3.000 - Cubic Meter	30400	0	illegal transport

Note:- Please take the print in Landscape Mode (Change the settings from Page Setup).

T.C.
/

18	63/2022-23	13/6/2022	SONU (LOKENDRA) TIWARI S/O RAMNIWAS TIWARI , VILL AND POST NITHARA THESIL JOURA DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AB5416	SOIL	4,000 - Cubic Meter	28000	0	illegal transport
19	64/2022-23	13/6/2022	SHRIRAM S/O NARAYAN SINGH , VIL KALINDE KA PURA THESIL BANMOBE DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AA4354	Khanda/Dhoka	2,000 - Cubic Meter	28600	0	illegal transport
20	65/2022-23	14/6/2022	RAJVEER BAGHEL S/O RAMESH BAGHEL , AYODHYA COLONY JAIL ROAD GWALIOR	Vehicle/Dumper (25 Tons)	MP07HB4696	Gitti	24 000 - Cubic Meter	243200	0	illegal transport
21	66/2022-23	14/6/2022	KAILSHA CHAND S/O SHRI PAT LAL , BARTOKHAR POST RAJA KA TOR THESIL SABALGRAH DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP31AA3185	Khanda/Dhoka	3,000 - Cubic Meter	30400	0	illegal transport
22	67/2022-23	16/6/2022	RAMKESH S/O KEERATRAM BAGHEL , -	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Sand	2,000 - Cubic Meter	0	0	FOREST TRANFER
23	68/2022-23	22/6/2022	RAM KISHORE KEWAT S/O PARIMAL SINGH , SHAMSHABAD PURA KATILA (GIWRARI) DISTT AGRA UP	Vehicle/Tractor Trolley	UP80EP9681	SOIL	6,000 - Cubic Meter	29500	0	illegal transport
24	69/2022-23	23/6/2022	VAKIL SINGH GURJAR S/O VRANDAWAN SINGH GURJAR , DOISA BITHORAKALAM MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	MP06AA6342	Sand	3,000 - Cubic Meter	36250	0	illegal transport
25	70/2022-23	23/6/2022	RAMVARAN SINGH S/O BABULAL , VILL JARONI THESIL & DISTT MORENA	Vehicle/Tractor Trolley	NA	Khanda/Dhoka	2,000 - Cubic Meter	28600	0	illegal transport
26	01/2022-23	3/6/2022	SAVITRI INT UDHYOG PROP SADHANA YADAV W/O SHRI LEELADHAR YADAV & OTHER , VILL MUNGAWALI THESIL & DISTT MORENA	NA	NA	SOIL	50,000 - Cubic Meter	75000	0	illegal mining
27	02/2022-23	14/6/2022	RAGHVENDRA KUSWAH (BADE)S/O RAMP & OTHER , VILL JAROLI BAMPURKALAM THESIL SABALGRAH DISTT MORENA	NA	NA	SOIL	540,000 - Cubic Meter	810000	0	illegal mining
28	03/2022-23	16/6/2022	JITENDRA SINGH S/O POORAN SINGH & OTHER , VILL BAROLI THESIL BANMOBE DISTT MORENA	NA	NA	Flag Stone	6,000 - Cubic Meter	63000	0	illegal mining
29	07/2022-23	3/6/2022	SAVITRI INT UDHYOG PROP SADHANA YADAV W/O SHRI LEELADHAR YADAV & OTHER , VILL MUNGAWALI THESIL & DISTT MORENA	NA	NA	SOIL	80,000 - Cubic Meter	120000	0	illegal storage
30	08/2022-23	23/6/2022	MAKHAN LAL GAUD S/O OM PRAKASH GAUD , VILL SUNGERA SADAK ROAD THESIL SABALGRAH DISTT MORENA	NA	NA	SOIL	40,000 - Cubic Meter	60000	0	illegal storage

MINING OFFICER
DISTT MORENA MP

T.C.
/

Note:- Please take the print in Landscape Mode (Change the settings from Page Setup).

Date :
05/07/2022

Page :

2

मानव न्यायों द्वारा रेत उत्खनन पर रोक के उपरांत माह जून 2022 में पंजीयद्ध अवैध रेत उत्खनन के प्रकरण

क्र.0	पीओआर क्र. व दिना	रेज	माह का नाम	रेत की मात्रा घ.मी. व	वन अपराधी का नाम व पता	जप्त वाहन	की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
1	9878 21 03.06.22	सम रज अन्वय	सम रज	24 घ.मी.	अज्ञात	ट्रेक्टर टोली	सम्बल नदी की रेत का अवैध रूप से उत्खनन/परिवहन करने के अपराध में ट्रेक्टर टोली का वन परिक्षेत्र बंधन क्षेत्र की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण कार्यालय नैमरेज दायरे में जाच में
2	9878 22 18.06.22	सम रज अन्वय	सम रज	12 घ.मी.	अज्ञात	नौकर ट्रेक्टर	सम्बल नदी की रेत का अवैध रूप से उत्खनन/परिवहन करने के अपराध में लोहर ट्रेक्टर को पुलिस थाना चिन्नी नुरेना की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण कार्यालय नैमरेज दायरे में जाच में
3	9878 23 26.06.22	सम रज अन्वय	सम रज	10 घ.मी.	अज्ञात	ट्रेक्टर टोली	सम्बल नदी की रेत का अवैध रूप से उत्खनन/परिवहन करने के अपराध में ट्रेक्टर टोली को पुलिस थाना जीवा की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण कार्यालय नैमरेज दायरे में जाच में
4	225 30 14 14.06.22	सम रज अन्वय	सम रज	02 घ.मी.	अज्ञात	ट्रेक्टर टोली	सम्बल नदी की रेत का अवैध रूप से उत्खनन/परिवहन करने के अपराध में ट्रेक्टर टोली को पुलिस थाना देहात ज्योपुर की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण कार्यालय नैमरेज दायरे में जाच में
5	9803 11 09.06.22	सम रज अन्वय			अज्ञात पुत्र अर्जुन सिंह मुजूर	ट्रेक्टर टोली	आरापी का साथी वाहन भगा ले गया आरापी गिरफ्तार
6	9805 04 19.06.22	सम रज अन्वय		02 घ.मी.	अज्ञात पुत्र अर्जुन सिंह मुजूर	ट्रेक्टर टोली	सम्बल नदी की रेत का अवैध रूप से उत्खनन/परिवहन करने के अपराध में ट्रेक्टर टोली को पुलिस थाना पूष भिण्ड की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया। प्रकरण कार्यालय नैमरेज दायरे में जाच में
7	9811 09 22.06.22	सम रज अन्वय		2 घ.मी.	अज्ञात	ट्रेक्टर टोली	आरापी वाहन भगा ले गया
8	221 08 23.06.22	सम रज अन्वय		2 घ.मी.	अज्ञात	ट्रेक्टर टोली	आरापी वाहन भगा ले गया

T.C.
[Signature]

वनमण्डल अधिकारी
सामान्य वनमण्डल पुरैना

टास्क फोर्स की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 06.06.2022 को कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में टास्कफोर्स मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व/पुलिस) समस्त जिला भिण्ड, परिवहन विभाग तथा खनि अधिकारी भिण्ड उपस्थित रहे।

बैठक में खनिज संबंधी निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई है-

- जिले में समूह क्रमांक-2 (मेहगांव, मिहोना, लहार) हेतु विधिमान्य रेत ठेकेदार श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा 01 जून 2022 को अनुबंध निष्पादन किया जा चुका है तथा रेत अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु नाके स्थापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें जिले के विभिन्न 09 स्थानों पर नाकें स्थापित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः नाके स्थापित कर खनिज एवं राजस्व अमले द्वारा सतत निगरानी रखे जाने के संबंध में।
- जिले में विभिन्न स्थानों पर लावारिश अवैध भण्डारण के निवर्तन के संबंध में।
- खनिज के ओवर लोड परिवहन, भार क्षमता से अधिक वॉडी को हटाने तथा विना नम्बर के वाहनों के संबंध में।
- अवैध उत्खनन, परिवहन तथा अवैध भण्डारण पर अंकुश लगाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), तथा खनिज विभाग द्वारा पृथक-पृथक एवं संयुक्त कार्यवाही करने एवं पुलिस बल उपलब्ध कराने के संबंध में।
- सिंध नदी की रेत खदानों पर अवैध उत्खनन में लिप्त रेत माफियाओं के विरुद्ध संयुक्त छापामार कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
- चंबल नदी चम्बल अभ्यारण क्षेत्र अन्तर्गत आती है। जिसमें अवैध रेत उत्खनन/परिवहन की शिकायतें प्राप्त होने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में।

टास्क फोर्स बैठक में दिये गये निर्णय/निर्देश-

- जिले में अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग की निगरानी में विधिमान्य रेत ठेकेदार द्वारा नाकें स्थापित किया जाना सुनिश्चित करें एवं खनि अधिकारी/खनि निरीक्षक भिण्ड, खनिज नाकों पर सतत निगरानी रखें एवं आवश्यक होने पर नजदीकी थानों से पुलिस सहायता प्राप्त करें।
- जिले में विभिन्न स्थानों पर लावारिश अवैध भण्डारणों को जप्त कर निवर्तन हेतु जिले के विधिमान्य ठेकेदार अथवा निर्माण कार्य एजेंसियों को सुपुर्द कराया जाना अथवा राजसात कर नीलामी की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

OL T.C.

- परिवहन अधिकारी खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में निर्धारित क्षमता/माप के अतिरिक्त वाहन की बॉडी बढ़ी पाई जाती है तो तत्काल कटवाना सुनिश्चित करेगे।
- परिवहन विभाग भिण्ड को जिले में बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही कर रजिस्ट्रेशन नम्बर लगवाना सुनिश्चित करें।
- सिंध नदी की रेत खदानों पर अवैध रेत उत्खनन में लिफ्ट वाहन/मशीन एवं पनडुब्बियों पर पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग का संयुक्त दल द्वारा छापेमार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- चंबल नदी चम्बल अभ्यारण क्षेत्र अन्तर्गत आती है। जिसमें अवैध रेत उत्खनन/परिवहन की अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने के अधिकार वन विभाग को है। अतः वनमण्डलाधिकारी भिण्ड द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं सतत निगरानी रखी जावे। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता प्राप्त की जावे।

GL
कलेक्टर

जिला भिण्ड (म0प्र0)
भिण्ड, दिनांक... 06/06/2022

क्रमांक-...../खनिज/2022
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना को सूचनार्थ।
2. आयुक्त परिवहन विभाग ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, समस्त जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस समस्त जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
7. खनि अधिकारी, खनिज शाखा भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
8. समस्त तहसीलदार जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
9. जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड की ओर पालनार्थ।

T.C.
[Signature]

GL
कलेक्टर
जिला भिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म०प्र०)

Email - modembhi@mp.gov.in

दिनांक 10/06/2022

50

-:आदेश:-

क्रमांक-5710/खनिज/2022

प्रमुख राक्षिब, खनिज साधन

मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 2020/623/दिनांक 22.02.2020 से रेत खनिज के ऐसे जिले जहाँ सफल निविदाकार चयनित हो चुके हैं उनमें अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु परीक्षण कर जांच चौकी स्थापित करने के निर्देश दिये हैं तथा मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के अध्याय-तीन के नियम 7 के तहत जांच चौकियों की अस्थायी व्यवस्था के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान में रेत समूह क्रमांक-2 (तहसील-मेहगांव, मिहोना एवं लहार) 37 रेत खदानों का ठेका, ठेकेदार श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह निवासी-सी-28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021 द्वारा जिला भिण्ड में रेत के अवैध परिवहन एवं उत्खनन की रोकथाम हेतु 9 विभिन्न स्थानों पर जांच नाका स्थापित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त के संबंध में सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से आगामी आदेश तक निम्नानुसार चैक पोस्ट स्थापित किए जाते हैं:-

क्र०	नाका स्थल	तहसील का नाम	थाना का नाम
1	अमायन-अड़ोखर तिराहा, लहार रोड़	तहसील मेहगांव	थाना अमायन
2	मेहरा, अमायन-लहार रोड़	तहसील लहार	थाना लहार
3	रावतपुरा तिराहा, अमायन-लहार रोड़	तहसील मिहोना	थाना लहार
4	भटपुरा, लहार रोड़	तहसील लहार	थाना लहार
5	चौरई तिराहा, सेवड़ा-लहार रोड़	तहसील लहार	थाना असवार
6	वैशली नदी पुल के पास, भिण्ड-अमायन रोड़	तहसील मेहगांव	थाना भारौली
7	मौ, सेवड़ा रोड़	तहसील मौ	थाना मौ
8	अंतियन का पुरा, गोपालपुरा रोड़	तहसील मिहोना	थाना मिहोना
9	फूप, भिण्ड-इटावा रोड़	तहसील भिण्ड	थाना फूप

उपरोक्तानुसार स्थापित किये जाने वाले चैक पोस्ट के संचालन के संबंध में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

T.C.
/

1. स्थापित किए जाने वाले चेक पोस्ट की अधोसंरचना (शेड, फर्निचर, पेयजल व्यवस्था, लाईन पर्याप्त सी.सी.टी.वी. कैमरे, स्टेशनरी आदि) की व्यवस्था सफल निविदाकार द्वारा अपने व्यय से की जावेगी।
2. स्थापित किये जाने वाले चेक पोस्ट पर स्टॉफ का प्रबंधन म0प्र0 खनिज नियम 2022 के नियम-2 में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारियों/व्यक्तियों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में किया जावेगा।
3. पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से चेक पोस्ट पर सफल निविदाकार के प्रतिनिधि उपस्थित रखने संबंधी समस्त प्रकार का नियंत्रण सफल निविदाकार द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों के अनुरूप अपने स्तर से किया जावेगा।
4. चेक पोस्ट स्थापित करने का उद्देश्य अवैध उत्खनन/परिवहन को नियंत्रण करना है। इस हेतु चेक पोस्ट पर वाहनों के इन्द्राज हेतु निर्धारित पंजी, जांच के अन्य आवश्यक पत्रक उपलब्ध कराने का कार्य सफल निविदाकार द्वारा किया जायेगा। चेक पोस्ट पर रखने वाले समस्त दस्तावेज पृष्ठांकित, मुद्रांकित और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होंगे।
5. जिले का खनिज एवं राजस्व अमला समय-समय पर चेक पोस्ट का निरीक्षण कर आवश्यक नियंत्रण और विभागीय दायित्वों का निर्वहन करेगा।
6. निर्धारित किए गए चेक पोस्ट के स्थान में परिवर्तन तथा चेक पोस्ट की संख्या में कमी एवं बढ़ोत्तरी आवश्यकता अनुसार की जा सकेगी।
7. चेक पोस्ट की जांच के दौरान यदि कोई अवैध गतिविधि का प्रकरण प्राप्त होता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला खनि अधिकारी को प्रदान की जायेगी।
8. सक्षम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि चेक पोस्ट पर कार्य करने वाले निजी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो।
9. चेक पोस्ट संचालन एवं खनिज के निरीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला कार्यालय, खनिज विभाग के विभिन्न नियम एवं अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जावेगा।
10. नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एम.पी.आर.डी.सी. की सड़कों पर स्थापित जांच नाकों पर निविदाकार को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्रा0 के नियमों के निर्देशों का पालन करना होगा।

T.C.
/

कलेक्टर
जिला भिण्ड (म0प्र0)

पृ० क्रमांक-5311.../खनिज/2022


भिण्ड, दिनांक 10/06/2022

52

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, म०प्र० शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रबंधन संचालक, स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि०, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, 29-ए, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ ।
6. संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/थाना प्रभारी की ओर सूचनार्थ ।
7. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री-राष्ट्रीय राजमार्ग/लोक निर्माण विभाग भिण्ड की ओर सूचनार्थ ।
8. जिला कमाण्डेट, होमगार्ड जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ ।
9. जिला परिवहन अधिकारी, भिण्ड की ओर सूचनार्थ ।
10. जिला खनि अधिकारी, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. सफल निविदाकार श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह, निवासी-सी-28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान-302021 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

T.C.
/


कलेक्टर
जिला भिण्ड (म०प्र०)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भिण्ड (म0प्र0)

53

E-Mail- modgmbhi@mp.gov.in

भिण्ड, दिनांक 29/06/2022

// आदेश //

क्रमांक-5771/खनिज/2022- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा SUSTAINABLE SAND MINING MANAGEMENT GUIDELINES 2016 जारी की गई है। जिसके अनुसार वर्षा ऋतु (मानसून सत्र) में नदियों से रेत खनन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नागपुर द्वारा पत्र दिनांक 18.01.2016 से म.प्र. में वर्षा ऋतु (मानसून सत्र) की अवधि 15 जून से 01 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है, जिसके परिपेक्ष्य में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्रमांक 9174 दिनांक 08.06.2016 से पत्र प्राप्त हुआ है। राज्य स्तरीय पर्यावरण निर्धारण प्राधिकरण (सिया) के पत्र क्रमांक-1136, दिनांक 14.06.2019 से पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जिला स्तर पर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से नदियों में रेत खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून की अवधि निर्धारण करने के निर्देश प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक-एफ-19-6/2020/12/2 भोपाल दिनांक 26.05.2020 के अंतिम पैरा अनुसार दिनांक 30.06.2020 अथवा कलेक्टर द्वारा मानसून आधारित खदान बंद करने की घोषित तिथि जो भी पहले हो, लागू करने का लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त निर्देश पत्रों के पालन में जिले में स्थित नदियों से रेत खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि दिनांक 30.06.2022 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 30.09.2022 की मध्य रात्रि 12:00 बजे तक निर्धारित की जाती है। यदि अंतिम तिथि के पश्चात् भी मानसून सक्रिय रहता है तो तदानुसार पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे। (यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)



कलेक्टर

जिला भिण्ड (म.प्र.)

भिण्ड, दिनांक 29/06/2022

पू0क्रमांक-5772/खनिज/2022

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, सिया, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. शासन, म.प्र. राज्य खनिज निगम लिमिटेड, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
8. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व/पुलिस), अनुभाग- मेंहगांव, लहार, मिहोना, रौन, भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
9. तहसीलदार, तहसील-मेंहगांव, लहार, मिहोना, रौन, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. थाना प्रभारी, पुलिस थाना, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. खनि निरीक्षक, भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. श्री राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेघराज सिंह पता-सी-28, उर्मिला मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. गार्ड फाइल।



कलेक्टर

जिला भिण्ड (म0प्र0)

T.C.
/

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गिण्ड (ग.प्र.)
क्रमांक / क्यू / 03 / खनिज / 2022 गिण्ड, दिनांक

54

प्रति.

संचालक
भौगिकी तथा खनिकर्म
29-ए अरेरा हिल्स भोपाल ग0प्र0

विषय:- माह जून 2022 में अवैध उत्खनन/परिवहन एवं भण्डारण पर की गई कार्यवाही की जानकारी।

विवरण	कुल प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	प्रस्तावित अर्थदण्ड राशि	जमा अर्थदण्ड राशि	शिर्गांक
अवैध उत्खनन	-	-	-	-	-
अवैध परिवहन	36	03	19,02,930 /-	5,25,000 /-	33 प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन
अवैध भण्डारण	13	13		92,14,394 /-	13 लवारिस भण्डारणों को जप्तकर जिले के विधिमान्य ठेकेदार श्री राघवेंद्र को सुपुर्द किया गया एवं उनके द्वारा समस्त भण्डारणों की कुल राशि 92,14,394 /- रुपये माइनिंग कॉरपोरेशन के पोर्टल के माध्यम से जमा की गई।
कुल योग	49	16	19,02,930 /-	97,39,394 /-	

T.C.
/

अपर कलेक्टर
जिला गिण्ड (ग.प्र.)



VAKALATNAMA

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, (CZ) BENCH, BHOPAL

ORIGINAL APPLICATION/APEAL/REVIEW No. 57 /2021

GOVIND SINGH MIA Claimant/Petitioner/Applicant

VERSUS

STATE OF MP & ORS. Respondent/Non-Applciant

I/we the Respondent/Non- applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate named below to appear, act and plead in aforesaid case/proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this Court or in any other Court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the National Green Tribunal in respect of proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/ them to sign and file pleadings, cross objections, petitions, applications, affidavits, or other document as may be deemed necessary or proper for the prosecution/ defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/ them as if done by me/us : In witness whereof I/We do hereunto set my/ our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me/ us, this ...^{16th} day of JULY 2022 at Bhopal (M.P.)

Particulars (in block letters) of each Party Executing Vakalatnama

Name Father/s/ Husband/s name	& Registered Address	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Status in the case	Full Signature/ **Thumb Impression
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ANOOB MISHRA S/O K.K. Mishra Dy. Director Mineral Administration 60 yrs.	29A ARERA HILLS Kharaj Bhava Bhopal		94251 10767	OIC R-1,3, A,5&6	

Accepted:

Particulars (in Block Letters) of each advocate accepting Vakalatnama

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SACHIN K. VERMA STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF MP NATIONAL GREEN TRIBUNAL ENRL NO. 2130/98	CHAMBER NO. 608, UCI LAWYERS CHAMBER ARERA HILLS BHOPAL462011	ngtstand ingcoun sel@gma il.com	9425412492	